



# लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 28-7-82

की कार्य सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक, जुलाई 28, 1982 में  
विवारणीय विषयों की सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक, 14.5.1982 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक, 14.5.82 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	19
3-	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।	21
4-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में परिवर्तन शुल्क लेने और भावन निर्माण की अवीधा के सम्बन्धा में प्राधिकरण के निर्णय हेतु टिप्पणी ।	22
5-	प्राधिकरण की पुरानी कालोनियों में निर्मित भावनों के अनाधिकृत अध्यासियों के विनियमतीकरण के सम्बन्धा में	25
6-	विकास प्राधिकरण के पुराने भावनों में किये गये परिवर्तन तथा परिवर्धन के सम्बन्धा में नोति निर्धारण ।	27
7-	महानगर योजना के अंतर्गत व्वायज स्कूल के हास्टल भूमि को स्कूल भूमि में परिवर्तित करने के सम्बन्धा में ।	28
8-	आलइन्डिया वीमेन्स कान्फ्रेन्स, लखनऊ ब्रान्च को पेपरमिल कालोनो में भूमि आवंटित करने के सम्बन्धा में ।	29
9-	श्री गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव निवासी बल्दी छोडा की भूमि जो कानपुर मार्ग तथा नगर प्रसार योजना के अंतर्गत अर्जित की गई है के बदले भूमि दिये जाने के सम्बन्धा में ।	31
10-	आर्कीटेक्ट कम-प्लानर पर श्री राजकुमार शुक्ला के परि-वीक्षा काल को बढ़ायेजाने के सम्बन्धा में तथा वरिष्ठ नगर नियोजक का पद नाम मुख्य नगर नियोजक का पद नाम मुख्य नगर नियोजक किये जाने के सम्बन्धा में ।	33
11-	प्राधिकरण में कुर्सी बुनकरो के पद के सृजन के सम्बन्धा में	35
12-	पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग द्वारा स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स की स्थापना के सम्बन्धा में ।	38
13-	अध्यक्षा महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।	

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १४ मई, १९८२  
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

दिनांक १४-५-१९८२ के बैठक की कार्यवाही में लखनऊ में एक क्लीनिक।  
नर्सिंग होम की स्थापना हेतु भूमि के आवन्तन से सम्बन्धित कार्यवाही रह गयी थी  
जो निम्नप्रकार है:-

- १- उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण एक क्लीनिक। नर्सिंग होम की  
स्थापना हेतु भूखण्ड का चयन करेंगी।
- २- इस कार्य हेतु भूमि नाम मात्र किराये पर आवन्तित की जायगी।
- ३- जिलाधिकारी, लखनऊ तथा उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण  
इस क्लीनिक। नर्सिंग होम से सम्बद्ध किये जायेंगी।  
कृपया उपरोक्त कार्यवाही के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि करने की  
कृपा करें।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-1982 जो  
पूर्वाह्न 10-30 बजे प्राधिकरण कार्यालय स्थित समिति कक्ष  
में हुई का कार्यवृत्त ।

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

उपस्थित:

- |    |                     |                                                                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1- | श्री सुरेन्द्र मोहन | आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं अध्यक्ष,<br>लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ । |
| 2- | श्री ए0के0रस्तोगी   | सचिव, आवास एवं नगर विकास<br>उत्तर प्रदेश शासन, लखानऊ ।             |
| 3- | श्री एस0पी0गुप्ता   | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>वित्त विभाग ।                  |
| 4- | श्री ओम पाठक        | जिलाधिकारी, लखानऊ ।                                                |
| 5- | श्री जे0पी0दुबे     | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,<br>उत्तर प्रदेश, लखानऊ ।               |
| 6- | श्री एल0के0गुप्ता   | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>आवास एवं नगर विकास ।           |
| 7- | डा0विश्वनाथ खान्ना  | सदस्य, विधान परिषद एवं सदस्य,<br>लखानऊ विकास प्राधिकरण ।           |
| 8- | श्री वी0के0गुप्ता   | अधीक्षाण अभियन्ता, उ०प्र जलनिगम ।                                  |
| 9- | श्री मधुकर गुप्ता   | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।                                 |

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

अन्य उपस्थित:

- |    |                         |                                                                         |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1- | श्री कृपाल सिंह धापोला  | सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।                                           |
| 2- | श्री ए0एन0सिंह          | अतिरिक्त सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण                                    |
| 3- | श्री जगमोहन लाल,        | मुख्य अभियन्ता, लखानऊ विकास प्राधिकरण                                   |
| 4- | श्री महावीर सिंह त्यागी | वरिष्ठ नगर नियोजक, लखानऊ विकास प्राधि०                                  |
| 5- | श्री आर0के0शुक्ला       | आर्किटेक्ट-कम-प्लानर, लखानऊ वि० प्राधिकरण                               |
| 6- | श्री जे0पी0श्रीवास्तव   | मुख्य लेखाधिकारी, लखानऊ वि० प्राधिकरण                                   |
| 7- | श्री के०बी०सक्सेना      | कास्ट-एकाउन्टेन्ट-कम-इकोनामिक प्लानर,<br>लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ । |

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

विषय संख्या: 1

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
17-2-1982 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव:

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
17-2-1982 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

विषय संख्या: 2

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
17-2-82 में लिये गये निर्णयों का अनुपालन ।

पारित प्रस्ताव:

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-2-1982 में लिये  
गये निर्णयों का अनुपालन आख्या का भालीभाति  
अवलोकन किया गया तथा विषय संख्या: 16:1  
में मिसप्रिन्टेड नाम श्री एस0पी0जौहरी के स्थान  
पर श्री एस0बी0जौहरी करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्षा ने कामधोनु नगर के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की जानकारी चाही। उनका सुझाव था कि लखानऊ सीतापुर, लखानऊ कुर्ती, लखानऊ रायबरेली व लखानऊ हरदोई मार्ग पर कामधोनु नगर बसाना व्यवहारिक होगा।

उपाध्यक्षा ने बताया कि नगर के बाहर कई स्थानों पर कामधोनु नगर बसाने के प्रस्ताव हैं और उनके विभिन्न पहलुओं, विशेषकर वित्तीय पहलू पर विचार करना आवश्यक है। उनका सुझाव था कि इस हेतु अध्यक्ष द्वारा एक पृथक बैठक बुला लेना उचित होगा। इसपर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गई।

प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले गावों के विकास के सम्बन्ध में अगली बैठक से पूर्व एक टिप्पणी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

गत बैठक में मासिक रिव्यू के लिये गठित उपसमिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने के विषय में जानकारी चाही गई। उपाध्यक्षा ने उन्हें अवगत कराया कि बजट पारित न होने के कारण अभी तक बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी। अब बजट पारित होने के बाद शीघ्र बैठक आयोजित की जायेगी।

विषय संख्या: 3

लखानऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

पारित प्रस्ताव:

बजट में अंकित गत वित्तीय वर्ष के वसूली के आँकड़ों का अवलोकन किया गया तथा इस वर्ष की गई वसूली के सम्बन्ध में बताया गया कि राजस्व की माँग मुख्यतः किराया क्रय आधार पर आवन्तित किये गये भवनों की माँग अभी तक पूर्णस्म से स्थापित न होने के कारण इस मद में वसूली सन्तोषजनक नहीं रही। यद्यपि कुछ वसूली पिछले आर्थिक वर्ष की तुलना में काफी अच्छी रही। इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर बजट प्रस्ताव के साथ विचार किया गया।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि

30 जून, 1982 तक लेजर कम्पलीट कर लिया

जाय तथा वसूली तीव्र गति से कराई जाये।

विषय संख्या: 4

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट  
वर्ष 1982-83

पारित प्रस्ताव: 4:1

वर्ष 1981-82 में भूमि की बिक्री से आय  
₹ 289-64 लाख प्रस्तावित की गयी थी जिसके  
विस्तर 180.48 लाख आय हुई। इस अन्तर के  
सम्बन्ध में सदस्यों ने जानकारी चाही। उपाध्यक्ष  
ने अवगत कराया कि ₹ 92-00 लाख की एक डील  
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से कई महीने से  
चल रही थी। इन्हे कानपुर रोड स्कीम में  
17-00 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव था। इस डील  
के 31-12-1982 तक पूर्ण न होने के कारण ₹92-00  
लाख की आय नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त  
नरेन्द्र नगर हाउसिंग सोसाइटी प्रा0लि0 को कपूरथला  
बाग अलीगंज योजना में भूमि देने का मामला काफी  
समय तक विवादग्रस्त रहा जिसके कारण भूखण्डों  
का निस्तारण दिनांक 31-3-1982 तक नहीं हो  
सका। फलतः अपेक्षित आय प्राप्त नहीं हुई। यह  
भी विचार व्यक्त किया कि भावनों और ठूकानों  
किराये से भी कम आय हुई है। इस सम्बन्ध में  
भी उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि जनपथ मार्केट  
के विस्थापितों से किराये का मामला विवादग्रस्त  
रहा, और अन्तिम निर्णय होने तक ₹03/-प्रति-  
वर्गफिट के बजाय केवल ₹ 2.00 प्रति वर्गफिट की दर  
से किराया जमा कराया जा रहा है।

4:2

1981-82 में हुए वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में भी  
विचार विमर्श हुआ। सदस्यों का अभिमत था  
कि भूमि अर्जन, भूमि विकास, भावनों के निर्माण  
तथा व्यवसायिक केन्द्रों आदि पर अपेक्षाकृत कम  
व्यय हुआ है। यदि भूमि अर्जन के व्यय को  
छोड़कर देखा जाये तो केवल 2.5 ₹/द्वारिका डिवीज़न  
के वर्कलोड के बराबर कार्य किया गया है। जबकि  
प्राधिकरण में 5 अभियन्त्रण खण्ड कार्यरत रहे  
हैं। यह भी विचार व्यक्त किया गया कि अलीगंज  
योजना तथा कानपुर रोड योजना में जितनी भूमि  
का कब्जा लिया गया है उसका प्रतिकर भुगतान  
पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। भू-स्वामियों से  
भूमि ले ली गई लेकिन उन्हें सुआवड़ा नहीं दिया  
जा रहा है। उपाध्यक्ष ने बताया कि विशेष-  
भूमि अध्याप्त अधिकारी द्वारा जित धान-  
राशि की मांग होती रहती है, उसका भुगतान  
समय समय पर किया जाता है। गत वर्ष वित्तीय  
कठिनाइयों के बावजूद भी ₹ 93.00 लाख का  
भुगतान किया गया है। जो कि उससे पहले के दो  
वर्षों की अपेक्षा लगभग दुगना है। इसके

अतिरिक्त भूमि विकास तथा भावनों के निर्माण भी वित्तीय कठिनाई के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी । राज्य सरकार से भी सीमित मात्रा में ही भूमि-अर्जन एवं भूमि विकास हेतु ऋण प्राप्त होता है । भावनों के निर्माण हेतु आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु मध्य आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग हेतु भावनों के विक्रय मूल्य की जो सीमा निर्धारित की गयी है उसके फल-स्वरूप उस सीमा के अन्तर्गत अब भावनों का निर्माण कराना सम्भव नहीं हो रहा है । भावनों के निर्माण हेतु शासन से भी सीमित मात्रा में ऋण उपलब्ध हो पाता है । जिससे भावन निर्माण की गति धीमी रह जाती है । उपलब्ध ससाधनों का सही ढंग से उपयोग करने पर ही 1681 भावन की उपलब्ध रही । जहाँ तक 5 अभियन्त्रण खाण्डों का प्रश्न है उनमें से एक अभियन्त्रण खाण्ड भूमि-अर्जन तथा प्रोजेक्ट फारमेशन का कार्य करता है, और इस प्रकार केवल 4 अभियन्त्रण खाण्ड ही वर्किंग पोजीशन में हैं ।

उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि माह दिसम्बर 1981 से माह मार्च 1982 तक सीमेन्ट की काफी कमी रही है । जिसका मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार की सीमेन्ट नीति थी । इसके कारण सीमेन्ट का आवन्तन होने के बावजूद भी सीमेन्ट प्राप्त नहीं हो सकी । यह सीमेन्ट फैक्टरी ने डिस्पैच नहीं की ।

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रगति की समीक्षा उपलब्ध स्टाफ तथा वास्तविक कार्य के आधार पर भी की जानी चाहिये जिसके लिये सार्वजनिक-निर्माण विभाग के नार्स के अनुसार । करोड़ रुपये के कार्य प्रति खाण्ड में कम से कम होने चाहिये ।

सदस्यों ने ट्रान्सपोर्ट नगर के सम्बन्ध में भी जानकारी चाही जिसके सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ट्रान्सपोर्टस जब तक अपना व्यवसाय नगर के अन्दर करते रहेगें तबतक यातायात में कठिनाई बनी रहेगी अतएव इन्हे शीघ्रता-शीघ्र ट्रान्सपोर्टनगर में शिफ्ट किया जाये । यह विचार भी व्यक्त किया गया कि ट्रान्सपोर्टस को अपने भावन तथा दुकाने बनाने में भी काफी समय लगेगा अतः सड़के, बिजली, पानी तथा पार्किंग प्लेस आदि का निर्माण करके उनसे कहा जाये कि वे वहाँ पर अपना निर्माण प्रारम्भ कर दें तथा जितना भी विकास कार्य अवशेष हो उसे पूर्ण करा दिया जाये । उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि माह अक्टूबर से ट्रान्सपोर्टरों का निर्माण कार्य स्थल पर आरम्भ हो जाने की आशा है ।

सदस्यों का यह मत था कि ट्रान्स्पोर्ट्स की एक बैठक बुला ली जाये तथा शिफ्टिंग के बारे में बात करके निश्चित तिथि निर्धारित की जाये ।

4:3

वर्ष 1982-83 में प्रस्तावित राजस्व आय तथा पूँजीगत आय पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया तथा यह विचार व्यक्त किया गया कि हज़रतगंज, सिन्डर्स डम्प आलमबाग, अलीगंज तथा नख्खानत आदि ठूकानों से लगभग ₹ 35,000/- बकाया बजट में दिखाया गया है । उपाध्यक्ष ने बताया कि बकाया अनुमानित है । राजस्व के लेखों को पूर्ण कराया जा रहा है तथा लेखा पूर्ण होने के बाद ही वास्तविक लेखा की स्थिति ज्ञात हो सकेगी । लेजर्त के पूर्ण होने का कार्य 30-6-82 तक समाप्त हो जायेगा और उसके पश्चात अवशेष तथा चालू माँग की वसूली हेतु तत्त प्रयास किया जा सकेगा ।

सदस्यों ने यह भी विचार व्यक्त किया कि भूमि की बिक्री तथा व्यवसायिक केन्द्रों से ₹ 484-95 लाख की आय अनुमानित की गई है जो वर्ष 1981-82 की आय से लगभग द्वाई गुनी है और अत्यधिक प्रतीत होती है । उपाध्यक्ष ने बताया कि उपरोक्त धनराशि, ₹ 100-00 लाख की आय व्यवसायिक केन्द्रों की आय मिलाकर है । इसमें ₹ 80.00 लाख की आय छितवापुर व्यवसायिक केन्द्रों तथा आर0टी0ओ0आफिस की आय सम्मिलित है । छितवापुर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की फाइनल फाउन्डेशन का कार्य माह अप्रैल 1982 से प्रारम्भ किया गया है । इन व्यवसायिक केन्द्रों में, विभिन्न कार्यालयों से काफी आफर प्राप्त हो चुके हैं । कपूरथला बाग तथा चौक व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण नहीं किया जायेगा अपितु इन दोनों से व्यवसायिक केन्द्रों का विकास करके स्पेस का नीलाम कर दिया जायेगा । इन दोनों व्यवसायिक केन्द्रों की योजनायें प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-2-1982 में स्वीकृत हो चुकी हैं । आर0टी0ओ0 व्यवसायिक केन्द्र की योजना इस बैठक की कार्य-सूची में सम्मिलित की गई है ।

₹ 384-95 लाख की आय का आधार बजट में दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट है । उपरोक्त आय में कपूरथला बाग व्यवसायिक केन्द्र की आय 7-00 लाख रखती गई है । अतः उपरोक्त आय को प्राप्त करने के लिये माह अप्रैल, 1982 से प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये हैं । प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में ₹ 41.00 लाख की आय माह अप्रैल 1982 में हुई है जो अब तक कितनी भी वर्ष में नहीं हुई है ।

4:4 भावनों की बिक्री से रु0 350.00 लाख की आय अनुमानित की गई है । सदस्यों ने बताया कि यह बहुत ही अधिक है क्योंकि गत वर्ष केवल रु0 164.00 लाख की आय हुई है । इस प्रकार प्रस्तावित आय दुगुनी है । उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उच्च आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्गीय भावनों का निर्माण सेल्फ-फाइनेन्सिंग योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है । अलीगंज योजना में उच्च आय वर्गीय तथा मध्यम आय वर्गीय योजना के अन्तर्गत भावनों का निर्माण हो रहा है । कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत पंजीकरण के आधार पर ऐसे भावनों का निर्माण किया जायेगा । इसके अतिरिक्त लेजर पूर्ण होने के पश्चात हायर परचेज की क्विशतों की वसूली भी होगी । इन सभी को देखाते हुए, प्रस्तावित आय उचित है ।

भूमि की बिक्री तथा भावनों की बिक्री से प्रस्तावित आय के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि यदि आवश्यकता हुई तो पुनरीक्षित बजट में संशोधन कर लिया जायेगा । लेकिन अभी इसमें कोई कटौती न की जाये जिससे विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आय की प्राप्ति के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा सके ।

4:5 प्रस्तावित 309.50 लाख की ऋण की प्राप्ति के लिये सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि राज्य सरकार एवं हडकों से जो ऋण लेने का प्रस्ताव किया गया है उसके सम्बन्ध में योजनायें शीघ्रतिशीघ्र भोज दी जायें ।

उपाध्यक्ष ने बताया कि हडको के लिये कानपुर रोड योजना में भावनों के निर्माण की कम्पोजिट स्कीम माह मार्च, 1982 में भोजी गई थी परन्तु विक्रय मूल्य की आपत्ति लगाकर योजना वापस कर दी गई है । विक्रय मूल्य की नई सीमा पुनरीक्षित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है उसके निर्णय के पश्चात यह योजना हडको को भोज दी जायेगी । चूंकि योजना तैयार रखी है अतएव यह विचार व्यक्त किया गया कि राज्य सरकार से एल0आई0सी तथा जी0आई0सी0 से भी बहुत कम धनराशि प्राप्त होती है जिसके अनुसार राज्य सरकार विकास प्राधिकरण को ऋण के रूप में धनराशि अवसुक्त नहीं कर पाती है । अतः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की भाति विकास प्राधिकरण में भी सामान्य पंजीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

यह भी विचार व्यक्त किया गया कि बैंक से जो ₹ 50.00 लाख का ऋण लेने का प्राविधान किया गया है, यदि आवश्यकता हो तभी ऋण लिया जाये। उपाध्यक्ष ने बताया कि छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र के लिये ₹ 20.00 लाख का प्रस्तावित ऋण लेने के बजाये अब ₹ 20.00 लाख का क्लीनओवर ड्राफ्ट लेने का निर्णय लिया गया है जिसका प्रस्ताव इस बैठक में प्रस्तुत किया गया है। यह योजना पूर्ण रूप से स्ववित्त पोषित योजना है। अतएव आवश्यकता हुई तो ओवरड्राफ्ट लिया जायेगा। आर0टी0ओ0काम्पलेक्स भी, छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र की ही भाँति सेल्फ फाइनेन्सिंग योजना है इसमें भी यदि आवश्यकता हुई तो ऋण लिया जायेगा अन्यथा नहीं।

4:6 सदस्यों ने अधिष्ठान व्यय के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया कि गत वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक व्यय का प्राविधान किया गया है। उपाध्यक्ष ने बताया कि पे-कमीशन की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने पर 1-7-1979 से अवशेष वेतन का भुगतान करना पड़ेगा इसलिये यह प्राविधान अधिक रखा गया है।

4:7 सदस्यों ने यह भी विचार व्यक्त किया कि भूमि-अर्जन में 175-00 लाख स्या का जो प्राविधान किया गया है उसके अन्तर्गत कृब्जे में ली गई भूमि का प्रतिकर भुगतान व भू-अर्जन की नई योजनाएँ सभी सम्मिलित हैं। उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि अलीगंज तथा कानपुर रोड योजना में जितनी भूमि का कृब्जा 31-3-1982 तक दिया जा चुका है उसके विपरीत अनुमानतः ₹ 200-00 लाख का दायित्व है। यद्यपि सही स्थिति की पूर्ण जानकारी समायोजन न हो सकने के कारण ज्ञात नहीं है। इस बात पर बल दिये जाने पर कि जब तक पूरा पुराना बकाया भुगतान नहीं हो जाता है तबतक किसी नये अधिग्रहण प्रस्ताव पर, कैसे अनुमति दी जाये, उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि पुराने तथा कथित बकाये का भुगतान काफी हद तक समायोजन पर भी निर्भर करेगा तथा जो प्रस्ताव नये रखे जा रहे हैं वह या तो पूर्व पंजीकरण खोलकर § आवास एवं विकास परिषद की भाँति § वित्त पोषित हो सकते हैं या ऐसे हैं जो जनहित में अत्यावश्यक हैं :- जैसे सीतापुर रोड पर टिम्बर नगर के लिये प्रस्तावित भूमि। अतः ₹ 175-00 लाख का प्राविधान उचित है।

भूमि विकास पर ₹ 418-00 लाख का व्यय प्रस्तावित है जिसकी विस्तृत जानकारी सदस्यों ने चाही । उपाध्यक्ष ने बताया कि इस व्यय का पूर्ण विवरण बजट के प्रपत्रों में दिया हुआ है । अलीगंज योजना में भावनों का निर्माण हो चुका है तथा कुछ भावन निर्माणाधीन हैं तथा भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है । कानपुर रोड योजना में भूमि का विकास किया जा रहा है जिसके लिये ₹ 75-00 लाख ऋण मार्च 1982 में प्राप्त हो चुका है । साथ ही ट्रान्सपोर्ट नगर में आवश्यक विकास कार्य किये जाने तथा ट्रान्सपोर्ट को वहाँ शिफ्ट किये जाने, रिंग रोड का विकास कार्य ₹ 100-00 लाख में सम्मिलित है । रिंग रोड का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा । इस प्रकार प्रस्ताविक व्यय उचित है ।

4:8

भावनों के निर्माण के लिये ₹ 306-50 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है । इस सम्बन्ध में सदस्यों ने जानकारी चाही कि इनमें भावनों की स्थिति क्या है और कितनी योजनाएँ ऋण प्राप्त करने हेतु शासन और हडको को भोजी गई हैं । उपाध्यक्ष ने बताया कि 3,900 भावनों का लक्ष्य रखा गया है । जिसमें 2451 भावन आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग तथा 834 भावन अल्प आय वर्ग हेतु, 565 मध्यम आय वर्ग तथा 50 उच्च आय वर्ग हेतु बनाने का प्राविधान है । आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु प्रस्तावित भावनों में से 700 भावनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार से ₹ 56-00 लाख का ऋण माह मार्च, 1982 में स्वीकृत हो चुका है जिसके विपरीत ₹ 40-00 लाख माह मार्च 1982 में प्राप्त हो चुका है । 1000 भावनों के निर्माण की योजना राज्य सरकार को भोजी गयी थी जो धन उपलब्ध न होने के कारण वापस कर दी गई है । उसे पुनः राज्य सरकार को भोजा जा रहा है । इसके अतिरिक्त कानपुर रोड योजना की कम्पोजिट योजना हडको को भोजी गई थी लेकिन विक्रय मूल्य की नई सीमा निर्धारित न होने से हडको ने उसे वापस कर दिया । जैसे ही विक्रय मूल्य की नई सीमा निर्धारित हो जायेगी वैसे ही यह भोज दी जायेगी । अल्प आय वर्ग के भावनों का निर्माण कानपुर रोड योजना में किये जाने हेतु 200 भावनों की योजना राज्य सरकार को भोजने के लिये तैयार की जा रही है । यह शीघ्र ही भोज दी जायेगी । 152 भावन हडको की उपरोक्त कम्पोजिट स्कीम में सम्मिलित हैं । इन भावनों का निर्माण डिपॉजिट तथा राजस्व से किया जायेगा । मध्यम आय वर्गीय तथा उच्च आय वर्गीय भावनों का निर्माण स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत किया जायेगा जिसका अलीगंज योजना में पंजीकरण किया जा चुका है । कानपुर रोड योजना में पंजीकरण शीघ्र ही खोल दिया जायेगा ।

4:10 यह भी विचार व्यक्त किया गया कि हातों में ऐसे भावनों का निर्माण कराया जाये जिससे वहाँ स्वच्छ वातावरण पैदा हो । उपाध्यक्ष ने बताया कि पुर्नवास के लिये डालीगंज पुल के निकट मोहन मीकिन रोड पर 57 ई0डब्लू0एस0 भावन बनाने का प्रस्ताव है जिसमें विस्थापितों को वरीयता दी जायेगी तथा हाता रसूल खाँ की भी योजना पृथक से प्रस्तुत की जा रही है ।

4:10 सदस्यों ने यह भी मत व्यक्त किया कि यद्यपि विकास प्राधिकरण की स्थापना सितम्बर 1974 में हो गयी थी लेकिन पिछले किसी भी वर्ष की बैलेन्स शीट बनाकर प्रस्तुत नहीं की गई है । बैलेन्स शीट न बनने के कारण सम्पत्ति एवं दायित्वों § ऐसेदस रेण्ड लायबिल्टीज़ § का सही पता नहीं चल रहा है । उपाध्यक्ष ने बताया कि बैलेन्स शीट बनाने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं जैसे लेजर्स इत्यादि पूर्ण नहीं है । विभिन्न पुरानी कालोनियों में किराये पर दिये गये भावनों के भी मूल्यांकन का प्रश्न है इन भावनों के निस्तारण की कार्यवाही शासन के स्तर पर चल रही है । मूल्यांकन का आधार जब तक स्पष्ट न हो, उसका सही मूल्यांकन न हो पायेगा । जो सम्पत्ति प्राधिकरण की स्थापना होने के साथ ही प्राधिकरण में स्थानान्तरित हो गयी है उसका भी पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । इन्हीं सब कठिनाइयों के कारण बैलेन्स शीट नहीं बन पा रही है । विचार विमर्श के उपरान्त एक समिति गठित की गई जिसके सदस्य संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, श्री एस0पी0गुप्ता, संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन आवास विभाग श्री एल0के0गुप्ता, सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण, मुख्य लेखाधिकारी, लखानऊ विकास प्राधिकरण । सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण इस समिति के संयोजक होंगे । यह समिति उपरोक्त कठिनाइयों पर विचार करेगी तथा बैलेन्स शीट बनाने के लिये आधार मानने हेतु संस्तुति एक माह के अन्दर करेगी । उपरोक्त विस्तृत विचार- विमर्श के पश्चात बजट पारित किया गया ।

विषय संख्या:5

आर0टी0ओ0शापिंग कॉम्प्लेक्स योजना तथा उसकी इकोनामिक्स की संस्तुति ।

पारित प्रस्ताव:  
5:1

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान में इस स्थल का आवासीय से व्यवसायिक उपयोग करने के सम्बन्ध में संस्तुति की जाती है और तदनुसार शासन को प्रस्ताव भेजा जाये ।

- 5:2 यह भी निर्णय लिया गया कि निर्मित स्पेस के निस्तारण की नीति, अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में जो उप-समिति छितवापुर के सम्बन्ध में गठित की गई थी, द्वारा निर्धारित की जायेगी ।
- 5:3 यह भी निर्णय लिया गया कि आर0टी0ओ0 काम्पलेक्स की दुकानों के आवन्टन में अमीनाबाद में हनुमान मन्दिर पार्क के किनारे बसे हुए टैक्सटाइल के दुकानदारों को उपयुक्त शर्तों के अन्तर्गत वरीयता दी जायेगी किन्तु मूल्य सम्बन्धी कोई लाभ इन्हें देय न होगा ।
- 5:4 आर0टी0ओ0का कार्यालय वहाँ से अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाये ।
- 5:5 श्री राम आफ्निस को वहाँ बनी दुकानों तथा स्थल से जो आय हो रही है उसका ध्यान रखाते हुए उसे भी अन्यत्र शिफ्ट करने पर विचार किया जाये ।

विषय संख्या:6 जोनल प्लान की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त जोनल-प्लान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को भोजकर चेक करा लिया जाये तब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आपत्तियाँ माँग ली जायें ।

विषय संख्या:7 चिड़िया बाजार की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त योजना हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन अव्यवहारिक है । उक्त स्थल पर दुकानें बन भी जाती हैं तो उसके सफल होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि नक्कास मार्केट में बनी दुकानें ही नहीं चल पा रही हैं । अतः यह योजना समाप्त कर दी जाये ।

विषय संख्या:8 हाता रसूल खाँ के भावनों के निर्माण के सम्बन्ध में

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त योजना की यथावत् स्वीकृति प्रदान की गई ।

विषय संख्या:9 उत्तर प्रदेश गजट 6 जून, 1981 ई ११ ज्येष्ठ १९०३ शक सम्बत में प्रकाशित लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्त-वेतन ग्रेज्युटी तथा जनरल प्राविडेन्ट फ़ंड विनियम 1980 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूँकि यह विषय सभी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर लागू होना है अतः इसे शासन के निर्णयार्थ सन्दर्भित कर दिया जाये ।

:: 11 ::

विषय संख्या: 10

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे भूमि/भावनों के आवंटन तथा नीलामी में आरक्षण की नीति ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि यदि आरक्षित भूमि/भावनों हेतु उस वर्ग के लोग नहीं आते हैं तो ऐसे भावनों/भूखण्डों को जनरल कोटे में माना जायेगा ।

विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि कैम्पाडाउन पर आवंटन हेतु 30 प्रतिशत भूखण्ड/भावन आरक्षित करने के उपरान्त ही अवशेष भावनों/भूखण्डों को आवंटित किया जाये ।

विषय संख्या: 11

गार्डन लीज़ पर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में

पारित प्रस्ताव:

11:1

इस विषय पर निम्न विचार विमर्श हुआ :-  
इसे गार्डन लीज़ न कहकर प्लान्टेशन लीज़ कहना उचित रहेगा ।

प्लान्टेशन लीज़ पर दी जाने वाली भूमि का प्रीमियम वर्तमान दर लगाकर उसका 50% प्रीमियम आवन्टी से लिया जा सकता है ।

लीज़ का प्रयोग किसी भी स्थायी प्रकार के निर्माण के लिये नहीं किया जायेगा ।

लीज़ की भूमि केवल उससे लगी हुई भूमि के भू-स्वामी को दी जायेगी ।

यह लीज़ सड़क पटरी पर दी जाती है तो उन्ही सड़कों पर दी जानी चाहिये जो 60 फिट या उससे अधिक चौड़ी है ।

लीज़ की भूमि को अपनी भूमि में सम्मिलित करने का अधिकार आवन्टी को नहीं होगा । उसे अपने मूल प्लॉट की सीमा पर, नियमित बाउन्ड्री वाल बनानी होगी ।

लीज़ की बाहरी सीमा पर वह अधिक से अधिक दो फुट की ऊंचाई की बाउन्ड्री वाल बना सकेगा जिसके ऊपर रेन्गल आइरन व बार्बड वायर लगाया जा सकता है ।

लीज़ की भूमि का प्रयोग केवल हरी घास, फल व फूलों के पेड़ लगाने के लिये किया जा सकेगा । लीज़ भूमि का उपयोग आवन्टी की तिथि से तीन माह के अन्दर हो जाना चाहिये ।

लीज़ केवल 7 वर्षों के लिये ही दी जायेगी ।

11:2

एक माननीय सदस्य ने यह भी विचार व्यक्त किया कि ऐसी चौड़ी सड़कों पर तन विभाग प्लान्टेशन कराये तथा उनकी देखाभाल करे। जिन लोगों ने स्टार्म वाटर ड्रेन के ऊपर गार्डन लीज़ के अन्तर्गत बगीचा बनाया है या कुछ निर्माण किया है उसे हटाया जाना चाहिये।

अन्त में यह निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में इस विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

विषय संख्या: 12

छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण हेतु सेन्डीकेट बैंक, लखनऊ से 12-1/2 % वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 20.00 लाख के क्लीन ओवर ड्राफ्ट लेन के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या: 13

बटलर रोड बन्धों के मध्य त्रिकोणी शकल के स्थल में पड़ी भूमि पर डालीबाग पुर्नवास योजना हेतु भूमि का अर्जन।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त उक्त योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने की अनुमति दी गई। यह भी सुझाव दिया गया कि इसमें ई0डब्लू0एस0 भवन भी बनाये जायें। योजना का नामकरण बाद में किया जायेगा।

विषय संख्या: 14

नक़्कास सामान्य विकास एवं पुर्नवास योजना के अन्तर्गत सम्पत्ति संख्या- 44 को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चावल-वाली गली की प्रस्तावित चौड़ाई 30 फिट रखाने के लिये आवश्यक भूमि निःशुल्क प्राप्त करके अवशेष सम्बन्धित भूमि अर्जन से मुक्त कर दी जाये।

अनुपूरक विषय संख्या: 1

आर0टी0ओ0शापिंग कांम्प्लेक्स की इकोनामिक्स की स्वीकृति।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आज की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या: 5:2 में जिस उप-समिति का हवाला दिया गया है, उसी समिति के समक्ष यह विषय विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक विषय  
संख्या: 2

पारित प्रस्ताव:

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दोहरी लेखा-  
प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

इस विषय में एक सदस्य ने विचार व्यक्त किया कि दोहरी लेखा प्रणाली तब तक लागू नहीं हो सकती है जबतक बैलेन्स-शीट न बने, अध्यक्ष महोदय ने बैलेन्स शीट, कब तक बन जायेगी इसकी टाइम-लिमिट जाननी चाही । यह निर्णय लिया गया कि

- 1- श्री एस0पी0गुप्ता, संयुक्त सचिव, वित्त,
- 2- श्री एल0के0गुप्ता, संयुक्त सचिव, आवास
- 3- सचिव, विकास प्राधिकरण तथा
- 4- मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयोजन से गठित उप-समिति बैलेन्स शीट बनाने के सभी पहलुओं पर विचार करेगी । इसके कनवेनर सचिव, विकास प्राधिकरण होंगे । बैलेन्स शीट 30-6-82 तक तैयार कर ली जाये ।

निर्णय लिया गया कि दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के लिये विकास प्राधिकरण में पृथक से किती एकाउन्ट आफ़ीसर की आवश्यकता नहीं है ।

अनुपूरक विषय  
संख्या: 3

पारित प्रस्ताव:

सीतापुर रोड पर मण्डी स्थल के उत्तर की भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस योजना का नोटीफिकेशन करवा दिया जाये । अगली बैठक में यह भी बताया जाये कि जिस स्थान पर इस समय टिम्बर सर्वेन्टस बैठे हैं, वहाँ से उनको सीतापुर रोड या किती अन्य स्थल पर जाने के लिये कैसे बाध्य किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति भी देखाकर अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

अनुपूरक विषय  
संख्या: 4

पारित प्रस्ताव:

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियोजन विभाग में कुछ पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विचार विमर्श के उपरान्त बनाये गये प्रस्ताव में जहाँ पर यह कहा गया है "रिसर्व आफ़िसर के पद को स्थायी रूप से नियुक्ति हेतु स्थागित रखा जाये" के स्थान पर "रिसर्व आफ़िसर के पद को समाप्त कर दिया जाये" । उक्त संशोधन के साथ बनाया गया प्रस्ताव अनुमोदित किया जाये ।

अनुपूरक विषय  
संख्या: 5

उपाध्यक्षा, विकास प्राधिकरण, लखनऊ के लिये एक कार क्रय करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श के उपरान्त यह अभिमत व्यक्त किया गया कि उपाध्यक्षा, विकास प्राधिकरण, नगर महापालिका के प्रधानसक भी हैं, उनके पास इस समय कार है, अतः यह प्रस्ताव इस समय स्थागित रखा जाये ।

अनुपूरक विषय  
संख्या: 6

विधि विभाग में पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विधि विभाग में प्रधान लिपिक के पद का कोई औचित्य नहीं है । प्रधान लिपिक के स्थान पर विधि अधीक्षक, जिनका वेतनमान कार्यालय-अधीक्षक के बराबर है, तथा दो विधि सहायकों, वेतनमान ₹ 240-424 में पद सृजित कर दिये जायें । विधि अधीक्षक तथा विधि सहायकों की नियुक्ति हेतु शर्तें आदि उपाध्यक्षा, विकास प्राधिकरण स्वयं निर्धारित कर लें ।

अनुपूरक विषय  
संख्या: 7

4-ए0पी0सेन रोड योजना के भूखण्ड को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्णित परिस्थितियों में उक्त भूमि अर्जन से मुक्त कर दी जाये ।

अनुपूरक विषय  
संख्या: 8

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एल0आई0सी0 की सहमति आवश्यक है । यदि एल0आई0सी0 की सहमति प्राप्त हो जाती है तो उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राधिकृत किया जाता है कि वे अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावानुसार करें ।

अनुपूरक विषय  
संख्या: 9

उजरियाँव गाँव की जमीन अर्जित करने एवं भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

9:1

उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जन की अनुमति दी गयी ।

- 9:2 उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के आँशिक क्षेत्र जो पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे और महापालिका के स्लेजफार्म के बीच स्थित हैं, के भू-उपयोग आवासीय करने की संस्तुति की जाती है ।
- 9:3 योजना का नामकरण बाद में किया जायेगा ।

अनुपूरक विषय  
संख्या: 10

अलीगंज योजना में श्री बी०एस०सक्सेना, श्री छोटेलाल तथा श्री जे०एल०कैसरवानी को आवंटित भूखण्डों के विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इन्हे 15% ब्याज दर से छूट देना सम्भव नहीं है । प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है ।

अन्य विषय

विशेष प्रस्ताव:1

योजनाओं के कार्यान्वयन में 20 सूत्री प्रोग्राम का विशेष ध्यान रखा जाये तथा अधिक से अधिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये भावनों का निर्माण किया जाये ।

विशेष प्रस्ताव:2

मे० कैलाश नाथा ऐशोसियेट्स, नई दिल्ली द्वारा कानपुर रोड योजना में भावनों का निर्माण ।  
मे० कैलाश नाथा ऐण्ड ऐशोसियेट्स, नई दिल्ली ने कानपुर रोड योजना में उच्च आय वर्ग के तथा मध्यम आय वर्ग के भावनों के निर्माण के सम्बन्ध में आफर अपने पत्र दिनांक 12-4-82 द्वारा दिया था जिसके सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या पर विचार किया गया । उपाध्यक्ष ने बताया कि उपरोक्त फर्म प्रथम चरण में 32 उच्च आय वर्ग के भावन, 68 मध्यम आय वर्ग के भावनों का निर्माण तथा 47 मिनी मध्यम आय वर्ग के भावनों का निर्माण कानपुर रोड योजना के सेक्टर "डी" में करेगी । भावनों का निर्माण उपरोक्त फर्म द्वारा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन्स तथा विक्रय मूल्य के अनुसार किया जायेगा । उच्च आय वर्ग के एक भावन का विक्रय मूल्य ₹ 1.55 लाख से ₹ 1.65 लाख, मध्यम आय वर्ग का विक्रय मूल्य ₹ 0.90 लाख से ₹ 1.00 लाख तक तथा मिनी मध्यम आय वर्ग का विक्रय मूल्य ₹ 0.55 लाख से ₹ 0.65 लाख तक उपरोक्त फर्म ने सूचित किया है ।

उपरोक्त विक्रय मूल्य में गैराज तथा सरवेन्ट क्वाटर सम्मिलित नहीं हैं परन्तु बाउन्ड्री वाल तथा गेट एवं ग़िल आदि की लागत सम्मिलित है । प्राधिकरण द्वारा इस समय उपरोक्त प्रकार के भावनों का निर्माण

कराया जा रहा है और बिक्रय मूल्य लगभग उपरोक्त मूल्य के अनुसम ही आता है । उपरोक्त फर्म भावनों का निर्माण 2 वर्ष में पूर्ण करेगी और किरातों में धानराशि दो वर्षों में आवन्टियों से लेगी । उपरोक्त फर्म भूमि की लागत का 50% आर्डर देने पर दे देगी तथा शेष 15% छः माह बाद, 15% एक वर्ष बाद तथा 20% डेढ़ वर्ष बाद देगी । फर्म से जो 50% धानराशि प्रारम्भ में ही प्राप्त होगी उससे उपरोक्त भावनों के क्षेत्रफल का विकास कार्य निष्पादित किया जायेगा जिसमें प्राधिकरण को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा । इसके पश्चात जो शेष धानराशि प्राप्त होगी वह प्राधिकरण के पास अतिरिक्त आय के रूप में उपलब्ध रहेगी । यदि मेट्रीरियल एवं लेबर की दरों में वृद्धि हो जाती है तो उपरोक्त बिक्रय मूल्य पुनरीक्षित हो जायेगा, जैसा कि फर्म ने सूचित किया है । सदस्यों का मत था कि उपरोक्त फर्म के अतिरिक्त यदि कोई अन्य फर्म भी इस फर्म की शर्तों पर निर्माण करने के लिये अपना आफर देती है तो उसे भी अवसर दिया जाये । विचार विमर्श के उपरान्त मे० कैलाश नाथ रेण्ड रेणोसियेदस का आफर उपरोक्तानुसार अनुमोदित किया गया । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि इसी प्रकार की शर्तें अन्य फर्मों द्वारा दी जाती हैं तो उन्हें भी अवसर दिया जाये । यह भी निर्णय हुआ कि चूंकि विकास प्राधिकरण में इस प्रकार की प्रक्रिया पहली बार अपनाई जा रही है, अतः शासन की भी औपचारिक स्वीकृत प्राप्त कर ली जाये ।

विशेष प्रस्ताव:3

कामधोनु नगर स्थापित करने हेतु सम्बन्धित सभ्य पहलुओं पर विचार करने हेतु अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अलग से बैठक बुलाई जाये ।

विशेष प्रस्ताव:4

प्राधिकरण की बैलेन्स शीट बनाने के सम्बन्ध में असेदस का वैल्युएशन शीट कराया जाये ।

विशेष प्रस्ताव:5

लालबाग में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वालों की तरफ से बनवाये गये निर्माण को हटवाने अथावा गिराने की शीट कार्यवाही की जाये ।

विशेष प्रस्ताव:6

ट्रान्सपोर्ट नगर में अवशेष विकास कार्य शीट करा दिये जायें तथा उसी अवधि में ट्रान्सपोर्टस को भी अपना निर्माण प्रारम्भ करने के लिये कहा जाये ताकि 1-12-82 तक वे अपना कारोबार वहाँ सिफ्ट कर सकें ।

विशेष प्रस्ताव:7

अमीनाबाद बाज़ार में फुटपाथ पर बैठने वालों की सूची तैयार करा ली जाये ताकि उन्हें आर0टी0ओ0 काम्पलेक्स में स्थान दिये जाने में सुविधा हो ।

विशेष प्रस्ताव:8

विकास प्राधिकरण के उन कर्मचारियों, जिन्हे मकान आवन्टित कर दिये गये हैं, उनके साथ रेगुलेशन अभी नहीं किये गये हैं, अतः शीघ्र-शीघ्र रेगुलेशन करवा लिये जायें ।

विशेष प्रस्ताव:9

जिन लोगों ने नगर महापालिका या विकास प्राधिकरण में आज से 8-10 वर्षों पहले या उसके बाद भूखण्ड/भवन प्राप्त करने हेतु धनराशि जमा की है, यदि उन्हें कोई भवन/भूखण्ड आवन्टित नहीं हुआ है तो ऐसे सभी लोगों को पत्र भेज दिया जाये कि वे अपनी धनराशि वापस ले लें ।

विशेष प्रस्ताव:10

आयुक्त महोदय ने यह प्रस्ताव रखा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के पार्को आदि का रखरखाव भी विकास-प्राधिकरण करे, इसपर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव भेज दे, प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

*Out*

§ मधुकर गुप्त §  
उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

*K. S. S.*  
§ कृपाल सिंह धपोला §  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त

*S. S. S.*

§ सुरेन्द्र मोहन §  
आयुक्त  
लखनऊ मण्डल एवं  
अध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय सं०- लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १४-५-२२ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

विषय संख्या-२

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १७-२-२२ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन ।

२:१ दिनांक १७-२-१९२२ की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बंध में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायगी।

विषय संख्या-४

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट वर्ष १९२२-२३

४:१०

बैलेंस सीट बनाने के लिये प्राधिकरण ने जो उप-समिति गठित की थी उसकी बैठक हो चुकी है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस सम्बंध में पूर्ण आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायगी।

विषय सं०-६

उत्तर प्रदेश गजट ६ जून, १९२१ई (ज्येष्ठ) १९०३ शक सम्बत में प्रकाशित लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्त वेतन ग्रेज्युटी तथा जनरल प्रावीडेन्ट पण्ड विनियम १९२० की अंगिकृत किये जाने के सम्बंध में।

६:१

निर्णयानुसार मामला शासन को संदर्भित कर दिया गया है।

विषय संख्या: ११

गार्डन लीज पर भूमि दिये जाने के सम्बंध में।

११:१

गार्डन (प्लान्टेशन) लीज का मामला आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायगा।

विषय संख्या १३

बदलर बन्दू के मुख्य त्रिकोनी शकल के रूप में पड़ी भूमि पर डालीबाग पुनर्वास योजना हेतु भूमि का अर्जन।

१३:१

उक्त भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

अनुपूरक विषय सं०-१

आर.पी.०.आ.०.शा.पिंग.काम्पलेक्स की इकोनामिक्स की खीकृति।

१:१

आर.पी.०.आ.०.शा.पिंग.काम्पलेक्स के इकोनामिक्स का मामला गठित उपसमिति के समक्ष रखा जायगा।

अनुपूरक विषय सं०-२

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दौहरी खेता प्रणाली लागू किये जाने के सम्बंध में।

२:१

इस विषय पर बैलेंस सीट बनने के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है।

- अनुपूरक विषय सं०-३ झीतापुर रोड पर मण्डी स्लॉट के उत्तर की भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में।  
३:१ प्रस्तावित भूमि की निर्णयानुसार अर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है।
- अनुपूरक विषय सं०-६ उजरियावाँ गाँव की जमीन अर्जित करने एवं भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।  
६:१ उजरियावाँ गाँव की जमीन अर्जित करने के सम्बन्ध में निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति आख्या अलग से रखी जा रही है।

विषय :- लखनऊ विकास प्राधिकरण को विभिन्न योजनाओं में परिवर्तन शुल्क लेने और भवन निर्माण की अवधि के सम्बन्ध में प्राधिकरण के निर्णय हेतु टिप्पणी ।

.....

विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्मित करने और उन्हें दूसरे पक्षों को हस्तान्तरित करने पर हस्तान्तरण शुल्क देय है । वर्तमान समय में निम्न तालिका के अनुसार हस्तान्तरण शुल्क व भवन निर्माण कराने की अवधि निर्धारित है :-

क्रमांक	योजना का नाम	देय परिवर्तन शुल्क	योजना में भवन निर्माण की अवधि	लीज डीड के अनुसार शर्तों के प्राधिकरण के रि-इन्डी का प्राविधान है या नहीं
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अलीगंज योजना	अ- पुराने भूखण्डों में प्रीमियम का 40 प्रतिशत	आवंटन से 5 वर्ष के अन्दर ।	
2.		ब- नये भूखण्डों पर लाभांश का 50 प्रतिशत	- तदैव -	है ।
		स- नीलामी के भूखण्डों पर 1. नीलामी का प्रीमियम का 40 प्रतिशत	- तदैव -	है ।
2.	बिल्लोच पुरा		- तदैव -	है ।
3.	इन्डस्टीयल शरिया सैशाबाग	प्रीमियम का 40 प्रतिशत	रजिस्ट्री की तिथि से एक वर्ष के अन्दर जो 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ।	है ।
4.	कानपुर रोड योजना	लाभांश का 50 प्रतिशत	सेज इन अलीगंज	
5.	अमीर नगर योजना	प्रीमियम का 15 प्रतिशत	आवंटन के 5 वर्ष के अन्दर ।	है ।
6.	व्लन्ट स्क्वायर	- तदैव-	- तदैव -	है ।

1.	2.	3.	4.	5.
7.	टी.जी.नार्थ चौदगंज	अ- आवंटित भूखण्डों पर 40 प्रतिशत ब- नीलामी के भूखण्डों पर 15 प्रतिशत	आवंटन/नीलामी के 5 वर्ष के अन्दर जो का०का० समिति के प्रस्ताव द्वारा पाँच वर्ष और बढ़ा दी गयी	है ।
8.	कालाकांकर योजना	प्रीमियम का 15 प्रतिशत	आवंटन के 5 वर्ष के अन्दर ।	है ।
9.	कुतुबपुर इरादत नगर	प्रीमियम का 40 प्रतिशत	आवंटन से 3 वर्ष से प्रारम्भ करके 5 वर्ष के अन्दर समाप्त ।	है ।
10.	मेवा नर्सरी योजना	प्रीमियम का 40 प्रतिशत	आवंटन की तिथि से 3 वर्ष के भीतर प्रारम्भ करके 5 वर्ष के अन्दर समाप्त ।	है ।
11.	नैपियर रोड योजना भाग-1 व 2	अ- आवंटित भूखण्डों पर प्रीमियम का 40 प्रतिशत	आवंटन की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर	है ।
12.	महानगर विस्तार योजना	उपरोक्त अ तथा ब के अनुसार	आवंटन/नीलामी के 5 वर्ष के अन्दर जो का० का० समिति के प्रस्ताव द्वारा 5 वर्ष और बढ़ा दी गई ।	है ।
13.	कैनिंग स्ट्रीट योजना भाग- 1, 2 तथा 3	नहीं	रजिस्ट्री से दो वर्ष के अन्दर ।	है ।
14.	वशीरतगंज योजना	नहीं	- तदैव -	
15.	चक्कर पुरवा योजना	नहीं	- तदैव -	
16.	मवैया योजना	नहीं	अवधि निर्धारित नहीं	
17.	महानगर योजना	नहीं	- तदैव -	
18.	टी.जी. नार्थ	नहीं	- तदैव -	
19.	दान्सफोर्ट नगर	--	अभी, कोई पट्टा निष्पादित नहीं किया गया है ।	

- 3 -

उपरोक्त योजना में से जिन योजनाओं में भवन निर्माण की अविधि दी गयी है तथा लीज- डीड में रि-इन्दी का प्राविधान है उनके सम्बन्ध में संस्तुति की जाती कि ऐसे सभी लीज डीड को टरमिनेट करके निम्न शर्तों के अधीन भूमि का वर्तमान मूल्य पर प्रीमियम लेकर पुनः रजिस्ट्री की जाय जिसमें आवंट्टी को भवन निर्माण करने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाय । यदि आवन्टी एक वर्ष से अधिक का समय चाहता है तो 10 प्रतिशत प्रीमियम देने पर उसे एक वर्ष के लिये भवन निर्माण हेतु अविधि बढ़ाई जा सकती है । वर्तमान दरों पर प्रीमियम लेकर ही लीज रिनीवल निम्नलिखित शर्त पर किया जाय :-

1. आवन्टी को यह शपथनामा देना होगा कि उसके परिवार के सदस्यों के पास लखनऊ नगर में कोई भूमि अथवा भवन नहीं है । परिवार की परिभाषा उनके पति/पत्नी तथा नाबालिग पुत्र एवं पुत्रियों से होगा ।
2. जिन योजनाओं के लीज-डीड में भवन निर्माण करने के लिये कोई अविधि निर्धारित नहीं थी उनके मामले विशेष सचिव, आवास एवं नगर विकास को रिफर किया गया था लेकिन अभी तक इस मामले में शासन से कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं । अतः ऐसे मामलों में क्या किया जाय, यह विषय भी प्राधिकरण के निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

वर्मा/...

विषय:- विकास प्राधिकरण की पुरानी कालोनीज़ में बने भावनों में अनाधिकृत अद्ययासीयों को विनियमित करने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण के विभिन्न कालोनीज़ में 3266 भावन हैं। यह भावन एक कमरे वाले, दो कमरे वाले, तीन कमरे वाले तथा 4 कमरे वाले हैं। विभिन्न प्रकार के भावनों का विभिन्न किराया है। ऐसा देखा गया है कि इन भावनों के मूल आवंटियों के विभिन्न परिस्थितियों में मकानों का कच्चा विकास प्राधिकरण को न देकर अपने सगे सम्बन्धियों या दोस्तों अथवा कुछ मामलों में दानराशि लेकर दूसरे लोगों को भी दे दिये हैं। इस प्रकार प्राधिकरण के मकानों में काफी संख्या में अनाधिकृत अद्ययासी हैं। इन अनाधिकृत अद्ययासीयों के विपरीत विहित प्राधिकारी के न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं। कुछ मामलों भारतीय दण्ड संहिता की धारा-441 तथा 447 के अन्तर्गत नोटिस दी गयी हैं। न्यायिक प्रक्रिया से मकान छान्नी करने में बहुत विलम्ब हो जाता है। तथा अत्यधिक समय एवं दानराशि व्यय होती है। दूसरी ओर ऐसे भावनों के किराये न मिलने के कारण प्राधिकरण को निरन्तर आर्थिक हानि भी हो रही है। कदाचित ऐसी ही समस्याओं को देखाते हुए शासन ने वर्ष 1971 में इनके विनियमतीकरण करने के आदेश दिये थे। वर्ष 1971 से अब तक पुनः काफी अनाधिकृत अद्ययासी हो गये हैं। अतएव इनका विनियमतीकरण आवश्यक हो गया है। विनियमतीकरण हेतु निम्नांकित शर्तें प्रस्तावित हैं:-

- 1- मूल आवन्टी का आवन्टन निरस्त करने के पश्चात् दिनांक 31.7.82 तक जो किराया बकाया है उसका भुगतान वर्तमान अनाधिकृत अद्ययासी को जमा करना होगा ।
- 2- विनियमतीकरण के मामले में तभी विचार किया जायेगा जब पहले दिनांक 31.7.82 तक का अवशेष किराया बकाया या बैंक ड्राफ्ट द्वारा विकास प्राधिकरण में वर्तमान अद्ययासी द्वारा जमा कर दिया जायेगा ।
- 3- अनाधिकृत अद्ययासी से एक शपथ पत्र लिया जायेगा कि उसके तथा उसके परिवार के पास तत्काल सीमा नगर में कोई भूमि या भावन नहीं है। परिवार की परिभाषा पति/पत्नी तथा उनके आश्रित बातिम या नाबातिम पुत्र पुत्रियों से होगा ।
- 4- विनियमतीकरण करने की तिथि से भावन का किराया शासन द्वारा

अपने भावनों के लिये निर्धारित फारमुला के अनुसार स्टैण्डर्ड रेन्ट वर्तमान अद्ययासी से लिया जायेगा ।

- 5- विनियमतीकरण करने के पश्चात उक्त भावन का जलकर, जलशुल्क तथा सीवर टैक्स अद्ययासी को देना होगा तथा इसके लिये अद्ययासी को एक तिथिगत अन्डरटेकिंग जलरत स्टैम्प पर देनी होगी कि वह उपरोक्त करों का भुगतान स्वयं करेगा ।
- 6- गृह कर का भुगतान विकास प्राधिकरण करेगा। उसकी दानराशि किराये में सम्मिलित कर ती जाय ।
- 7- यदि किसी व्यक्ति के पास या उसके परिवार के पास एक से अधिक भावन कब्जे में हैं तो उन्हें इस बात की छूट होगी कि वे कौन सा भावन अपने नाम विनियमित कराना चाहेंगे। ऐसे मामलों में एक ही भावन का विनियमतीकरण उनके पक्ष में हो सकेगा ।
- 8- एक कमरे वाले भावनों की विनियमतीकरण उन्हीं अद्ययासियों के पक्ष में होगा जिनकी आय प्रतिमाह 800/- रुपये से अधिक न हो। इसी प्रकार दो कमरे वाले भावनों के लिये 1200/- प्रतिमाह, तीन कमरे वाले भावनों के अद्ययासियों की आय 1,800/- प्रतिमाह, तथा चार कमरे वाले अद्ययासियों की आय 2,500/- रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- 9- उन्हीं अनधिकृत अद्ययासियों को विनियमतीकरण किया जायेगा जो एक कमरे वाले भावन के लिये 80-0300/-, दो कमरे वाले भावन के लिये 80-0600/-, तीन कमरे वाले भावन के लिये 80-01,500/- तथा चार कमरे वाले भावन के लिये 80-02,500/- अग्रिम के रूप में जमा कर देंगे । यह दानराशि जमा होने के उपरान्त ही विनियमतीकरण एवं आवंटन आदेश अनधिकृत अद्ययासी के पक्ष में जारी किया जायेगा ।
- 10- ऐसे सभी अनधिकृत अद्ययासियों को तिथिगत रूप में एक निर्धारित तिथि तक यह प्रार्थना पत्र देना होगा कि अमुक भावन का विनियमतीकरण वे चाहते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। इसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जायेगी ।

विषय :- आल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस , लखनऊ ब्रान्च को पेपर मिल कालोनी में भूमि आबंटित करने के सम्बन्ध में ।

आल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस ब्रान्च-लखनऊ ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि उन्हें लखनऊ नगर के मध्य क्षेत्र में 50"×100" फीट का भूखंड निर्बल वर्ग की कार्यरत् महिलाओं के बालकों के कल्याणकारी कार्यों हेतु लाइब्रेरी, बालवाडी, क्रेडेज एवं शिशुओं के विकास व कल्याण सम्बन्धी कार्य करने के निमित्त आबंटित कर दिया जाय। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि वह आबंटित भूखंड पर भवन का निर्माण एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लें तथा उनकी संस्था को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तें मान्य होंगी ।

संस्था द्वारा भवन का उपयोग केवल उपरोक्त कार्य हेतु किया जायेगा। शिशु केन्द्र का प्रबन्ध एक कमेटी द्वारा किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी, लखनऊ, सदस्य-उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/ प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ होंगे तथा संस्था के दो नामित प्रतिनिधि होंगे ।

पेपर मिल कालोनी के अन्तर्गत नगर महापालिका का स्कूल स्थित है। यह भूमि अब ट्रस्ट विभाग अर्थात् प्राधिकरण की है। इस स्कूल-भूमि में से दक्षिण-पूर्व के कोने पर 100"×50" फीट भूमि उपलब्ध है। उसी भूमि को टोकेन लीजरेन्ट रू० 1/= प्रति वर्ष की दर से आल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस को भूमि आबंटित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

आबंटन सम्बन्धी शर्तें संलग्न हैं। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रदीप/-

xxxxx

शिक्षा केन्द्र के निर्माण हेतु आल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस को भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शर्तें ।

=====

शर्त संख्या : 1

आल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस को यह भूमि केवल 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी जा सकती है। 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर 30-30 वर्ष के लिए दो बार यह लीज नवीनीकृत की जा सकेगी। चूंकि संस्था सामुदायिक सुविधा हेतु एक बड़ी धनराशि व्यय करेगी तथा जिस उद्देश्य विशेष को लेकर यह संस्था कार्य कर रही है, उसे देखते हुए टोकेन लीजरेन्ट एक रूपया सालाना रखना ही व्यवहारिक होगा।

शर्त संख्या : 2

उक्त शिक्षा केन्द्र का निर्माण संस्था को भूखंड आबंटन की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा। यदि संस्था उक्त निर्माण निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं कर पाती है तो दी गई भूमि व उसके ऊपर निर्मित अपूर्ण भवन/कमरे, लखनऊ विकास प्राधिकरण पुनः अपने कब्जे में ले लेगा जिसके लिए संस्था को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उक्त भूखंड व उस पर निर्मित भवन का निस्तारण विकास प्राधिकरण अपनी स्वेच्छा व विवेकानुसार कर सकेगा।

इस सेन्टर का प्रयोग केवल निम्न कार्यों हेतु किया जा सकेगा।-

- 1- निर्बल वर्ग की कार्यरत महिलाओं के बालकों के कल्याणकारी कार्यों हेतु ,
- 2- लाइब्रेरी, बालबाड़ी, प्रेजेण्ट एवं शिक्षुओं के विकास व कल्याण सम्बन्धी कार्यों हेतु ।

इस केन्द्र का प्रयोग किसी भी व्यवसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा ।

शर्त संख्या : 3

शिक्षा केन्द्र का प्रबन्ध एक कमेटी द्वारा किया जायेगा जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी, सदस्य उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रशासक महापालिका लखनऊ, उनके द्वारा नामित अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी, स्वयं निर्वाचित महापालिका होने की दशा में, तत्काल संस्था के दो प्रतिनिधि होंगे ।

शर्त संख्या : 4

शिक्षा केन्द्र के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद पैदा होता है तो उसका निर्णय जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा किया जायेगा, उनका निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

शर्त संख्या-5

संस्था विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त किये गये नक्शे के मुताबिक ही उक्त शिक्षा केन्द्र का निर्माण करेगी।

विषय:- विकास प्राधिकरण के पुराने भावनों में किये गये परिवर्तन तथा परिवर्तन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण ।

विकास प्राधिकरण के विभिन्न कार्यालयों में स्थिति भावनों के आवन्टी/अनाधिकृत अध्यासियों द्वारा भावनों में परिवर्तन अथवा परिवर्तन कर लिया गया है। इन लोगों ने अतिरिक्त कमरे का निर्माण कर लिया है, पर छज्जा निकात लिया है, पर वरामदा घोर कर कमरे का रूप दे दिया है अथवा किचन या बाउन्ड्रीवाल आदि का निर्माण अपनी सुविधा के लिये करा लिया है। ऐसे समस्त निर्माण जो बिल्डिंग बाइलाइन के प्रतिकूल नहीं हैं या उक्त निर्माण से उनके पड़ोसी के इजीमैन्ट्री राइट्स या अन्य अधिकारों का हनन नहीं होता है और उस निर्माण से प्राधिकरण की सम्पत्ति को क्षति नहीं हुई है या भाविष्य में क्षति होने की सम्भावना नहीं है तो ऐसे समस्त परिवर्तन एवं परिवर्तनों को निम्न-अंकित शर्तों के अधीन विनियमित कर दिया जाय:-

- 1- अध्यासी द्वारा किया गया परिवर्तन विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति होगी और उसका स्वामित्व विकास प्राधिकरण का होगा।
- 2- उक्त परिवर्तित होत्र यदि निर्माण बिना अनुमति के किया गया है तो इस का स्टैन्डर्ड रेन्ट भी अध्यासियों को देना होगा जो उसके पुराने किराये में जोड़ दिया जायेगा। यदि अनुमति के साथ कोई ऐसा परिवर्तन या परिवर्तन किया जाता है तो वर्तमान किरायेदारी समाप्त होने पर अगले आवंटन के समय बड़े हुए किराये के रूप में देय हो जायेगा।
- 3- जिन आवन्टियों ने ऐसे परिवर्तन या परिवर्तन किये हैं जो भावन निर्माण नियमों के प्रतिकूल हैं अथवा जिनसे पड़ोसियों के अधिकारों का हनन होता है या असुविधा होती है अथवा प्राधिकरण की सम्पत्ति को क्षति पहुँच सकती है ऐसे आवन्टियों का आवंटन बिरस्त करके उन्हें बेदखल किया जायेगा और ऐसे अनाधिकृत निर्माण को दवस्त करा दिया जायेगा।
- 4- उक्त अवैध निर्माण से प्राधिकरण की सम्पत्ति को क्षति पहुँच सकती है या नहीं या किसी के इजीमैन्ट्री राइट्स का हनन होता या नहीं का निर्णय का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ह को होगा ।

विषय:- महानगर योजना के अन्तर्गत ब्वायज स्कूल के हास्टल भूमि को स्कूल भूमि में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

महानगर गृह योजना के अन्तर्गत हाई पावर कमेटी के प्रस्ताव संख्या 111, दिनांक 15-1-1965 द्वारा 27,100 वर्गफीट भूमि रु0 1/= प्रतिवर्गफुट की दर से प्रिन्सिपल, महानगर ब्वायज स्कूल के नाम हास्टल के लिए आवंटित की गई थी। सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् दिनांक 16-2-1973 को विभाग द्वारा निबल्धन भी करा दिया गया है। महानगर ब्वायज स्कूल अब उसमें हास्टल न बनाकर स्कूल की बिल्डिंग में परिवर्तन करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने भवन-भू-चित्र स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है। लखनऊ नगर की द्रुतिगति से बढ़ती आबादी की पृष्ठभूमि शिक्षा के विस्तार व अतिरिक्त शिक्षा सुविधायें उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। साथ ही एक-एक स्कूल के हास्टल के लिए दी गई लीज का मूल उद्देश्य शैक्षिक ही कहा जा सकता है। अतः इस भूमि को स्कूल के विस्तार के लिए उपयोग करने की अनुमति देने की संस्तुति की जाती है।

श्री गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी-बल्दीछेडा, बरगवाँ, ने लखनऊ-कानपुर मार्ग योजना में एक भूमि का टुकड़ा योजना के नोटिफिकेशन से पहले ही ग्रहण कर लिया था और उसमें दो कमरों का निर्माण कर लिया था। अर्जन के समय उनकी भूमि, भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अर्जित की ली गई है और उसका कब्जा विकास प्राधिकरण को दे दिया गया है, किन्तु दो कमरे का कब्जा अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव का भवन कानपुर मार्ग योजना के 80फीट चौड़े मार्ग के बीचो-बीच स्थित है, इसलिए इनके भवन को यथावत् छोड़ने की कोई भी सम्भावना नहीं है। इनके भवन के तीन तरफ मार्ग का निर्माण हो चुका है और इन तीनों मार्गों को छोड़ने के लिए उनके भवन का कब्जा प्राप्त कर अवशेष मार्ग का निर्माण किया जाना अनिवार्य है।

श्री श्रीवास्तव ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह निवेदन किया है कि वे राजकीय सेवाओं से वर्ष 1976 में रिटायर हो चुके हैं और उनके परिवार के पेन्शन के अतिरिक्त जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। अतएव उन्होंने यह प्रार्थना की है कि सड़क को घुमा दिया जाय और उनके मकान को यथावत् छोड़ दिया जाय। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि वे भवन और भूमि का कोई मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं बल्कि उनके मकान को यथावत् छोड़ दिया जाय।

उपरोक्त विषय पर बहुत विचार-विमर्श हो चुका है और श्री गोकर्न प्रसाद के भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने की कोई संभावना नहीं है। यदि श्री गोकर्न प्रसाद के कथनानुसार उन्हें भवन न देकर भूमि के बदले भूमि दी जाती है तो उनसे विकास शुल्क लेना आवश्यक होगा। यदि 200 वर्गमीटर भूमि उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो लगभग रू० 38/- प्रतिवर्गफुट की दर से विकास मूल्य लेना होगा जिसका मूल्य रू० 7,600=00 होगा।

अतः प्राधिकरण के विचारार्थ एवं श्री गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है।

प्रदीप/-

xxxxxxx

सेवा में,

सचिव महोदय,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या टी/831/स.सी. दिनांक- 15 मार्च, 1982, जो कि प्रार्थी को दिनांक 3 अप्रैल, 1982 को हस्तगत हुआ, के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपके पत्र संख्या टी/459/स.सी. दिनांक- 11 जनवरी, 1982 के सम्बन्ध में प्रार्थी ने शासन को एक प्रार्थना पत्र दिनांक- 14 मार्च, 1982 को दिया था, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठोंकित कर भेजी गयी थी । तात्कालिक सन्दर्भ के लिये उस पत्र की एक प्रतिलिपि पुनः संलग्न है । उक्त पत्र से सभी परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाती हैं ।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर कदाचित् माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को कुछ निर्देशा दिये हैं । अस्तु अनुरोध है कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर कृपया सहानुभूति पूर्वक विचार करने का कष्ट करें ।

दिनांक- 8-4-82

भवदीय,

§गोकरन प्रसाद श्रीवास्तव§  
569 घ/88 ए  
मो0 बल्दी खेड़ा  
पोस्ट-सिंगार नगर,  
लखनऊ 15

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ आख्या :-

विषय :- आर्कीटेक्ट-कम-प्लानर पर श्री राज कुमार शुक्ला के परिचीक्षा काल को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में तथा वरिष्ठ नगर नियोजक का पद नाम मुख्य नगर नियोजक किये जाने के सम्बन्ध में ।

विशेष सचिव आवास के गोपनीय अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या- 5812/37-3-8-वी०पी०/81 दिनांक- 1-1-82 तथा आवास सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 134/पी०एस०/82 दिनांक- 12-1-82 में निहित आदेशों के अनुपालन में श्री आर० के० शुक्ला की नियुक्त आर्कीटेक्ट-कम-प्लानर के पद पर वेतनमान 1350-1700 निम्नतम वेतन तथा देय भत्तों पर तीन महीने की परिचीक्षा पर की गयी थी और उक्त नियुक्ति का अनुमोदन भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक- 14-5-82 में प्रदान कर दिया है ।

श्री शुक्ल को लखनऊ महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य सौंपा गया था. यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसे पूरा किया जाना अति आवश्यक है ।

अतः अनुशांशा की जाती है कि आर्कीटेक्ट-कम-प्लानर का उपरोक्त पद पूर्व नियुक्त के तारतम्य में रूपया 1350-1700 के वेतनक्रम में पूर्व शर्तों पर श्री शुक्ल की एक वर्ष की अवधि की अस्थायी नियुक्ति स्वीकृत करते हुए अनुमोदित कर दिया जाये ।

2- विकास प्राधिकरण में इस समय कई महत्वपूर्ण योजनाएँ बनाई गयी हैं जिनमें से कुछ का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है और कुछ पर कार्यवाही किया जाना शेष है । प्राधिकरण में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, आवासीय योजनाओं तथा सौन्दर्यीकरण के अतिरिक्त महा-योजना का पुनरीक्षण, जोनल डेवलपमेन्ट प्लान एवं सम्बन्धित नियम तथा भवन विभाग, आदि के कार्य विशेष महत्वपूर्ण है ।

प्राधिकरण के नियोजन विभाग में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए एक पद आर्कीटेक्ट-कम-प्लानर तथा कुछ अन्य आवश्यक पद स्वीकृत किये गये हैं और कार्य की आवश्यकता को देखते हुये कुछ और पदों के सृजन की आवश्यकता हो सकती है इन सभी पदों एवं कार्यों का समन्वय उचित स्तर पर किया जाना आवश्यक है । इस समय विकास प्राधिकरण के नियोजन विभाग में सबसे उच्च पद वरिष्ठ नगर नियोजक का है । वरिष्ठ नगर नियोजक को नियोजन सम्बन्धी कार्य-कलापों तथा नगर की विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में अपने स्तर पर स्वतन्त्र रूप से शासन के अन्य विभागों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है ।

अतः अनुशांसा की जाती है कि वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्य के महत्व तथा पद की गरिमा को देखते हुए विकास प्राधिकरण की योजनाओं के कार्य को उचित स्तर पर समन्वय के लिये इस पद का पद नाम वरिष्ठ नगर नियोजक के स्थान पर मुख्य नगर नियोजक कर दिया जाय ।

टी.वर्मा/...

शासनादेश संख्या 3694/37-2-82 दिनांक 21-6-1982  
द्वारा नेत्रहीन विकलांगों हेतु विकास प्राधिकरण में कुर्सी  
बुनकरों के पद के सृजन हेतु टिप्पणी।

—00—

सचिव, होरेजन समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के  
अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 3080/26-2-82-563/79 दिनांक 8 जून 1982 एवं  
आवास अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्ध शासकीय सं० सं० 3694/37-2-82  
दिनांक 21 जून 1982 के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण में कुर्सी बुनकर क  
का एक पद सृजित किया जाना है। दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियां संलग्न है।

अतः विकास प्राधिकरण में कुर्सी बुनकर का एक पद चतुर्थश्रेणी के कर्मचारी  
के वेतनमान 165-215 में सृजित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 3694/37-2-82

प्रेषक:-

श्री एल०के०गुप्ता,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,।

सेवामें,

उपाध्यक्ष,  
विकास प्राधिकरण,  
कानपुर/लखनऊ/आगरा/मुरादाबाद  
प्रशासन,  
नगर महापालिका,  
कानपुर/आगरा/लखनऊ/बाराणसी/इलाहाबाद।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ 21 जून 1982

विषय:- प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगार नेत्रहीन विकलांगों को सेवा योजित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयकर सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 3080/26-2-82-563/79, दिनांक 8 जून 1982 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण/नगर महापालिका में तत्काल एक पद कुर्सी बुनकर का सृजित करें तथा उस पद पर नियुक्त करने के लिए हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र०शासन से अनुरोध करें कि वे कोई उपयुक्त कुर्सी बुनकर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर महापालिका में तैनाती हेतु भोजने की व्यवस्था करें। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से शासनके आवास अनुभाग-2 तथा नगर विकास अनुभाग-7 को भी अवगत करायें।

भावदीय,

ह०-

§ एल०के०गुप्त §  
संयुक्त सचिव।

संख्या-3694§1§/37-2-82तद् दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को हरिजन समाज कल्याण अनुभाग-2 के अर्द्धशा०प०सं० दिनांक 8 जून 1982 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-नगर विकास अनुभाग-7

2-सचिव, हरिजन समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र०शासन।

भावदीय,

§ एल०के०गुप्त §  
संयुक्त सचिव।

## शीर्ष प्राथमिकता

राम कृष्ण  
सचिव।

ओशाटोप०सं०३०८०/छब्बीस/२-८२-५६३/७८

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग-२

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ दिनांक ८ जून १९८२

प्रिय

मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि विगत कुछ समय से प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोगार नेत्रहीन विकलांगों को सरकारी नौकरियों में सेवायोजित किये जाने का प्रकरण शासन के विवाराधीन है। मामले पर विचार करने के उपरान्त शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि इन बेरोजगार नेत्रहीनों को सेवा योजन हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों में अपेक्षित संख्या में विभिन्न श्रेणी के उपयुक्त पद अक्लिम्ब सृजित किये जायं तथा उस पर राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची में उपयुक्त नेत्रहीन व्यक्तियों को तत्काल नियुक्त कर दिया जाय। उक्त सूची की एक प्रति संलग्न है। इन नेत्रहीनों की सेवायें का उपयोग किस विभाग द्वारा किस पद पर किया जायेगा तथा इस हेतु किस श्रेणी के कितने पद सृजित किये जायेंगे इत्यादि के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिये गये हैं। इसके अनुसार सम्बन्धित विभागों में सर्व प्रथम विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर इन नेत्रहीनों को सेवा योजित किया जायेगी। किन्तु यदि रिक्त पद उपलब्ध न हो तो उसके सेवा योजन हेतु वांछित संख्या में नये पद सृजित किये जायेंगे। शासन के निर्णय के अनुसार अपेक्षित संख्या में पदों का सृजन तथा उसके समक्ष नेत्रहीन विकलांगों की नियुक्ति इत्यादि की कार्यवाही सम्बन्धित विभागों द्वारा की जायेगी। संलग्न विवरण से यह विदित हसेगा कि आपके नियन्त्रणाधीन पार्श्वविके विभाग में उपयुक्त सन्दर्भित सूची से कुल १५ नेत्रहीन को कुर्सी बुनकर पद पर सेवायोजित किया जाना है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश व्यक्त किये है कि शासन के उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित कर प्रश्नगत् ३ नेत्रहीनों से सेवायोजन का कार्य दिनांक ३०-६-८२ तक आवश्यक पूरा कर ले तथा उन्हें भी स्थिति से अगत कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि आप कृपया प्रश्नगत् नेत्रहीनों विकलांगों के सेवायोजन के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना मुझे २०-६-१९८२ तक दें ताकि माननीय मुख्य मंत्री जी को स्थिति से अगत कराया जा सके।

भावदीय,

ह०-१ राम कृष्ण  
सचिव।आदित्य कुमार रस्तोगी,  
सचिव,

आवास नगर विकास सहायका एवं पुर्नवास।

विषय: पोस्टल एवं टेलीग्राफ डिपार्टमेण्ट द्वारा सॉटस कम्प्लेक्स की स्थापना के सम्बन्ध में ।

आह्वय: अलीगंज योजना के सेक्टर 'ई' में 13 एकड़ भूमि मास्टर प्लान के प्राविधाना के अर्जागत ग्रीन बेल्ट के लिये आरक्षित की गई है । इस भूमि में एक छोटा आडोटेरियम, एक योगिक केन्द्र, एक स्टेडियम, एक स्वीमिंग पूल तथा एक प्ले ग्राउंड के निर्माण का निश्चय किया गया है । उपरोक्त में से आडोटेरियम, योगिक केन्द्र तथा प्ले ग्राउंड का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा एवं स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल का निर्माण पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक 23/6/82 को पोस्टल एवं टेलीग्राफ बोर्ड के सदस्य (प्रशासन) की आये में । उन्होंने डाइरेक्टर सॉटस के साथ अलीगंज योजना में साइट का निरीक्षण किया था । उस समय उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ की उपस्थिति में । इस सम्बन्ध में उक्त दिनांक को ही अपराह्न में एक बैठक हुई थी ।

उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल के निर्माण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण terms & conditions भेज दें । उपरोक्त विभाग को स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल की स्थापना हेतु अलीगंज योजना के सेक्टर 'ई' में भूमि निम्न शर्तों पर देना प्रस्तावित है :

1. ग्रीन बेल्ट वाली भूमि में से ही स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि दी जाये ।
2. उपरोक्त योजना की लागत निकालने में ग्रीन बेल्ट की भूमि का मूल्य ब्यव खा गया है, अतः भूमि free of cost दी जाये ।
3. उपरोक्त भूमि 20/- टैकेन लोज रेंट पर दी जाये ।
4. उपरोक्त स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल का निर्माण पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग को भूमि का कब्जा दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रारंभ करना होगा तथा निर्माण कार्य तीन वर्ष में पूर्ण करना होगा । अपरिहार्य परिस्थितियों में समय में वृद्धि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी ।
5. उपरोक्त स्टेडियम में सीढ़ियों के नीचे छिटाड़ियों के आवास की व्यवस्था की जा सकती है । उक्त स्टेडियम के प्रांगण में ही watch & ward staff के लिये भी आवास की व्यवस्था की जा सकती है परन्तु इन सभी के निर्माण के लिये प्लान पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग को लखनऊ विकास प्राधिकरण से पास कराना आवश्यक अनिवार्य होगा । पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग को छिटाड़ियों के आवास के लिये अलग से कोई भूमि नहीं दी जायेगी ।

6. उपरोक्त स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल के संचालन हेतु उक्त विभाग एक प्रबन्ध समिति का गठन करेगा जिसके सदस्य मुख्य नगर अधिकारी (प्रशासक) नगर महापालिका लखनऊ/उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण भी होंगे। प्रशासक / उपाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी (प्रशासक) नगर महापालिका द्वारा नामित अधिकारी उक्त प्रबन्ध समिति का सदस्य होगा। इसके अतिरिक्त डाइरेक्टर स्पोर्ट्स भी उक्त समिति के सदस्य होंगे।
7. उपरोक्त विभाग स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा नगर महापालिका लखनऊ को free of cost उपलब्ध करायेगा।
8. अन्य खेल कूद, एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को उपरोक्त स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल की सुविधा उपलब्धता के आधार पर दी जायेगी।
9. स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल के उपयोग के लिये फीस आदि का निर्धारण उपरोक्त प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।
10. उपरोक्त विभाग स्टेडियम का प्रयोग खेल कूद एवं खेलकूद से सम्बन्धित कार्यों के लिये ही करेगा, अन्य में नहीं।
11. उपरोक्त विभाग को अलग-अलग योजना के निवासियों के लिये स्वीमिंग पूल के प्रयोग हेतु द्वि-प्रतिदिन समय निर्धारित करना होगा। उक्त योजना के निवासियों के अतिरिक्त नगर के अन्य निवासियों के लिये भी उपलब्धता के आधार पर स्वीमिंग पूल का प्रयोग उपरोक्त विभाग प्रदान करेगा। इस सुविधा के लिये प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित शुल्क प्रत्येक निवासी से लिया जायेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा नगर महापालिका के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये निर्धारित दर में 50% रियायत दी जायेगी। सदस्यता के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच उक्त विभाग द्वारा की जायेगी एवं विभिन्न मामलों में उक्त समिति को अधिकार होगा कि वह सदस्यता के लिये प्राप्त प्रवेश-पत्र अस्वीकार कर दें।
12. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को, डाइरेक्टर स्पोर्ट्स लखनऊ की संज्ञा पर उक्त स्टेडियम का प्रयोग उपरोक्त विभाग केवल निष्कट उपयोग के लिये उपलब्ध करायेगा।
13. उपरोक्त विभाग स्टेडियम के अन्दर दुकानों का निर्माण नहीं करायेगा।
14. स्वीमिंग पूल के तथा स्टेडियम के प्रयोग के उद्देश्य से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

15. विधान सभा/विधान परिषद, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा नगर महानपालिका लखनऊ को छेत्कद के आथेज्जो के समय, उपरोक्त विभाग फ्री पास उपलब्ध करायेगा । जब प्रवेश टिकटो के द्वारा होभा तब उपरोक्त विभाग 25 फ्री पास (२५) उपरोक्त सदस्यो, लखनऊ विकास प्राधिकरण ररर तथा नगर महानपालिका को उपलब्ध करायेगा ।

उपरोक्त शर्ती पर पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग को स्टेडियम तथा स्विमिंग पूल के निर्माण हेतु भूमि देने की अग्रशंसा की जाती है ।

विषयसं-1

विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु आख्या :-

बटलर रोड एवं बॉध के मध्य 12.46 एकड़ नजूल भूमि का कब्जा नजूल विभाग से अभियन्त्रण खण्ड §1§ को हस्तान्तरित हो चुका है जिस पर § 4 मंजिले § ए- टाइप के 44, तथा बी- टाइप के 132 तथा एक कमरे वाले 64 भवन प्रस्तावित हैं व्यवसायिक केन्द्र हेतु भी प्राविधान किया गया है। ए- टाइप के भवनों में 3 बेड रूम तथा डाइंग-कम-डायनिंग रूम होगा। बी- टाइप के भवनों में 2 बेड रूम तथा डाइंग-कम-डायनिंग रूम का प्राविधान किया गया है प्रत्येक भवन के साथ गैराज तथा उसके ऊपर सरवेन्ट क्वार्टर का भी प्राविधान किया गया है।

प्रश्नगत भूमि के समीप 1.10 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक- 14-5-1982 द्वारा स्वीकृत हुआ था जिसके अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया है।

यह आवासीय योजना सेल्फ-फाइनेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित है कि इस भूमि पर विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना है शापिंग सेन्टर तथा द्यूबेल आदि का भी प्राविधान किया गया है। निकटवर्ती स्थल पर रह रहे अनधिकृत व्यक्तियों को बसाने हेतु एक कमरे वाले 64 भवनों का भी निर्माण कार्य प्रस्तावित है। योजना से सम्बन्धित आँकड़े संलग्न है। योजना की कुल निर्माण लागत रु० 202.71 लाख है।

एफ० ए० आर० व ग्राइन्ड कवरेज महा-योजना के अनुरूप है परन्तु घनत्व § डेनसिटी § 100 व्यक्ति प्रति एकड़ के स्थान पर 200 व्यक्ति प्रति एकड़ आ रहा है जो कि ग्रुप हाउसिंग योजना में स्वाभाविक है अतः डेनसिटी में छूट अपेक्षित है।

...

वर्मा/..

Dali Bagh Housing Scheme.

Sl.No	Type of Building	Plot Area	Plinth Area	Land Cost	Const. Cost	Saleable Cost	Garage Cum-Servent Auarter			Total Salable Cost A+B	
							Plinth Area	Land Cost	Const. Cost		Salable Cost B.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12
1.	Type A G.Floor.	17.32 Sft.	1214.34	@ 21/- 36372	@ 80/-Sft. 971447	161720	@20/- 192.5 sft.	@ 20/- 3850	@50/- 19250	27400	189120
2.	Type-B. Ist Floor.	1278	1028.34	@17.50	@ 70/- 71984	115250	"	"	"	27400	142650
3.	Type-B II Floor	"	1028.34	@17.50 22365	@ 70/- 71984	115250	"	"	"	27400	142650
4.	Type-B. 3rd.Floor	"	1028.34	@ 14/- 17892	@ 70/- 71984	110775	"	"	"	27400	138175
5.	E.W.S. One Room -		224.57	@70/-Sft. 3930	11229	17800	-	-	-	-	17800

Note;-

1. Type-A 3 Room +Dring-Cum-Ding & Garage cum- servent quarter.
2. Type-B 2 Room + Dring-Cum-Ding & Garage-cum-servent quarter.

विषय

लखनऊ कानपुर मार्ग योजना के चतुर्थ चरण के भू-उपयोग के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नगर के दक्षिणी भाग के विकास के लिये लखनऊ-कानपुर मार्ग नगर प्रसाह योजना नामक एक योजना बनायी है । इस योजना का सम्पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 4400 एकड़ है, जो शारदा नहर के दक्षिण लखनऊ-कानपुर मार्ग से लेकर, लखनऊ-रायबरेली मार्ग तक फैला हुआ है । योजना के 3 चरण लखनऊ-कानपुर मार्ग एवं लखनऊ-विजनौर मार्ग के बीच में स्थित हैं और इसका क्षेत्रफल 2400 एकड़ के लगभग है ।

इस योजना का चतुर्थ चरण शारदा नहर के दक्षिणी क्षेत्र का वह भाग है जो लखनऊ-विजनौर मार्ग एवं लखनऊ-रायबरेली मार्ग के बीच में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1600 एकड़ है, जो सन्लग्न मानचित्र में लालरंगों से दिखलाया गया है ।

लखनऊ नगर की महायोजना ४ मास्टरप्लान में इस भूमि का कोई भी उपयोग नहीं दिखलाया गया है जिसके कारण आवासीय उपयोग हेतु इस भूमि के अर्जन में कठिनाई उत्पन्न होगी । ऐसी परिस्थिति में कानपुर मार्ग योजना के चतुर्थ चरण से सम्बन्धित 1600 एकड़ भूमि जो सन्लग्न मानचित्र में लाल रंगों से दिखलायी गयी है, के भू-उपयोग को आवासीय उपयोग में परिवर्तित करनेकी अनिवार्यता स्पष्ट हो जाती है ।

अतएव अनुसंधान की जाती है कि उपरोक्त लगभग 1600 एकड़ भूमि का भू-उपयोग आवासीय उपयोग हेतु संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय ।

प्रमुख मदें	भवनों का किराया लीजरेन्ट हायर-पर्येन से आय	भवन विभाग से शुल्कों से प्राप्त	दुकानों का पी.मियम/किराया	भूमि के विक्रय से			भवनों के विक्रय से			छिजवापुर केन्द्र से		अन्य प्राप्तियां
				अलीगंज योजना	कानपुर रोड योजना	अन्य योजनाएं	अलीगंज योजना	कानपुर रोड योजना	अन्य	प्राप्ति डिपॉजिट के रूप में		
मूल बजट 1982-83 अनुमान	21.10	9.87	57.88	174.05	195.48	15.42	210.31	113.14	1.55	100.00	14.75	
वास्तविक आंकड़े जून-1982 तक-	5.74	2.54	1.64	30.00	2.10	शून्य	36.10	1.48	0.05	3.37	8.22	

मदें	ऋण		अनुदान	छण्डों की प्राप्तियां	प्रारम्भिक अवशेष	योग
	शासन से	संस्थागत				
मूल बजट 1982-83 का अनुदान	145.00	164.50	शून्य	शून्य	316.52	164.57
वास्तविक आंकड़े	शून्य	शून्य	10.00	20.87	316.52	148.23

प्राधिकरण के व्यय पत्र की स्थिति जून 1982 तक

महें	अचिठ्ठात	संवैधिक व्यय	कमीका प्रतिदावा व्यय सहित	मंडार वस्तुओं का क्रय	डिवाजिट की वापसी	भूमि अर्जन पर व्यय			प्लानिंग	विक्रय करों पर व्यय	पाके इत्यादि पर व्यय	
						अलीगंज	कानपुर रोड	अन्य				
कुल बजट 1982-83 के अनुदान	62.65	45.65	210.00	84.00	48.50	75.00	90.00	10.00	100.00	0	15.00	153.00
वास्तविक जून 82 तक	11.76	3.40	23.57	33.74	13.91	10.00	10.00	10.46	21.52	7.27	0.28	2.56

स्तम तथा पुरानी योजनाओं का स्तरकाव	प्रवर्गों पर व्यय			दुकानों/व्यास्क/आवोकेन्टों कर विभाग पर व्यय			अन्य	योग	अंतिम अवशेष
	अलीगंज	कानपुर रोड	अन्य	चितवापुरा	अलीगंज क पूरथता	सिण्डर्स डम्प			
47.80	170.00	130.00	6.50	100.00	11.50	9.00	28.60	1558.20	6.37
5.95	24.66	17.08	0.37	5.88	0.41	0.16	0.46	219.69	168.54
								16.23	50.00

आवासीय भावनों की भाूतिक आरुया माह जुन 1982

(6)

क्र० सं०	योजना का नाम	भावनों का प्रकार	बजट के अनुसार लक्ष्य	प्रगति						
				कार्य प्राप्त	प्लान्थ स्तर	लिन्टर स्तर	छत लेविल	छत पड़ गई	पूर्ण	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना	साइट/सर्विसेज	-	-	-	-	-	-	-	
		ई. डब्लू. एस	-	-	-	-	-	-	-	
		एस/एस डी/एस	822	-	-	-	2	4	4	-
		एल. आई. जी.	एस/एस डी/एस	176	28	72	76	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	
2.	कानपुर रोड़ नगर प्रसार योजना	साइट/सर्विसेज	-	-	-	-	-	-	-	
		ई. डब्लू. एस.	-	-	-	-	-	-	-	
		एस/एस डी/एस	1452	-	-	38	16	56	54	-
		एल. आई. जी.	एस/एस डी/एस	-	-	-	-	-	-	-
		570	-	-	-	-	-	18	-	
3.	डालीगंज पुल के लिफ्ट पुनर्वास योजना	साइट/सर्विसेज	-	-	-	-	-	-	-	
		ई. डब्लू. एस	एस/एस	57	57	-	-	-	-	
		एल. आई. जी.	एस/एस डी/एस	96	-	-	-	-	-	
		9	-	-	-	-	-	-		
		48	-	-	-	-	-	-		
4.	दादा रपूत डाँ योजना	मिनी एम. आई. जी.	48	-	-	-	-	-		
		5.	हाता लक्ष्मण दास	ई. डब्लू. एस	डी. एस.	8	-	-	-	
6.	हाता सरजू प्रसाद	ई. डब्लू. एस.	डी/एस	16	2	-	-	-		
		3888	91	126	129	123	156			
कुल योग:-										

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-7-1982  
जो आयुक्त लखनऊ मण्डल-लखनऊ के कार्यालय के कक्ष में  
अपरान्ह 4-00 बजे हुई का कार्यवृत्त।  
X-X-X-X-X-X-X

उपस्थिति:-  
XXXXXXXXXX

- |                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1- श्री सुरेन्द्र मोहन       | आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं<br>अध्यक्ष, लखनऊ विकास<br>प्राधिकरण-लखनऊ।        |
| 2- श्री आदित्य कुमार रस्तोगी | सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>आवास एवं नगर विकास।                        |
| 3- श्री एस०पी० गुप्त         | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन।                       |
| 4- श्री अशोक खुराना          | प्रभारी जिलाधिकारी,<br>लखनऊ।                                           |
| 5- डा० वी० एन० खान्ना        | सदस्य विधान परिषद एवं<br>सदस्य विकास प्राधिकरण<br>लखनऊ।                |
| 6- श्रीमती गीता काचर         | सदस्य विकास प्राधिकरण।<br>लखनऊ।                                        |
| 7- श्री के०पी० सिंह          | वरिष्ठ नगर नियोजक,<br>उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम<br>नियोजन विभाग-लखनऊ। |
| 8- श्री एस०के० शर्मा         | मुख्य अभियन्ता,<br>उत्तर प्रदेश जल निगम-लखनऊ                           |
| 9- श्री मधुकर गुप्त          | उपाध्यक्ष,<br>विकास प्राधिकरण- लखनऊ।                                   |

अन्य उपस्थिति:-  
XXXXXXXXXX

- |                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1- श्री कृपाल सिंह धापोला                     | सचिव,<br>विकास प्राधिकरण- लखनऊ।                                                  |
| 2- श्री ए०एन० सिंह                            | अतिरिक्त सचिव,<br>विकास प्राधिकरण- लखनऊ।                                         |
| 3- श्री महाबीर सिंह त्यागी                    | वरिष्ठ नगर नियोजक,<br>विकास प्राधिकरण,<br>लखनऊ।                                  |
| 4- श्री जगमोहन लाल                            | मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०                                                       |
| 5- श्री के०बी० खन्सेना                        | कास्ट एकाउन्टेन्ट कम इकोनामिक प्लानर<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण- लखनऊ।              |
| 6- सर्वदमन वर्मा                              | मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा०                                                     |
| 7- श्री आर०के० शुक्ल<br>विशेष स्य से आमंत्रित | अधिसासी अधिकारी, आर०बी०ओ०<br>श्री अशोक गुप्ता, जिला प्रबन्धक, टेलीफोन्स<br>लखनऊ। |

विषय संख्या-1

प्रारित प्रस्ताव:-

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-82 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

लखानऊ नगर में क्लीनिक /नर्सिंग होम की स्थापना हेतु सस्ते दर पर भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में इस निर्णय को कार्यवृत्त में सम्मिलित न किये जाने विषयक जिलाधिकारी के पत्र से सदस्यों को अज्ञात कराया गया। सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि लखानऊ में इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार के नर्सिंग होम की स्थापना लखानऊ नगर में आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। किन्तु विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इससे पहले कि प्राधिकरण स्तर पर कोई निर्णय लिया जाय इस हेतु पूरी योजना तथा भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तें प्राधिकरण के समक्ष रखी जायें। जो संस्था इस नर्सिंग होम की स्थापना करनी चाहती है उससे इस सम्बन्ध में लिखित प्रस्ताव प्राप्त किया जाय। उपरोक्त कार्य पूरा होने के बाद यह विषय प्राधिकरण की अगली बैठक में रखा जाय। इस अवधि में जिलाधिकारी लखानऊ व उपाध्यक्षा लखानऊ विकास प्राधिकरण भूमि का औपचारिक चयन भी कर लें।

विषय संख्या-2

प्रारित प्रस्ताव:-

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-1982 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

उपाध्यक्षा महोदय ने जानकारी चाही है कि गत बैठक में विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत आने वाले गांवों के विकास के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे उसमें क्या प्रगति हुई? उपाध्यक्षा ने बताया कि इधर काफी व्यस्त रहने के कारण इस बारे में कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में एक बैठक बुला ली जाय और इसके लिए निति निर्धारित कर ली जाय।

2-2 अध्यक्ष महोदय ने कहा कि लखानऊ विकास प्राधिकरण का गठन नगर के लोगों के लिए तभी लाभकारी सिद्ध होगा जिस समय ट्रान्सपोर्टर सब्जी मंडी तथा दुधारू जानवर शहर से बाहर चले जायेंगे। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। उपाध्यक्षा ने बताया कि ट्रान्सपोर्टर नगर एवं सब्जी मंडियों को हटाने की कार्यवाही चल रही है किन्तु कामधेनु नगर के विषय में एक पृथाक से बैठक बताया जाना उचित होगा।

2-3 अध्यक्ष महोदय ने बैलेन्स शीट के बारे में जानकारी चाही सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण-लखानऊ ने बताया कि इस सम्बन्ध में गठित समिति की एक बैठक हो चुकी है जिसमें लिए गये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। पूर्ण प्रगति से आगामी बैठक में अज्ञात कराया जायेगा।

क्रमशः—अतीत

- 2:4 सचिव, आवास एवं नगर विकास ने जानकारी चाही है कि कम्पली के मामले में क्या प्रगति हुई? उपाध्यक्ष ने अगत करवाया कि लेजर का काम हो गये हैं। तथा कम्पली के सम्बन्ध में बिल भेजे जा रहे हैं। जिलाधिकारी रिक्वरी सर्टिफिकेट जिलाधिकारी को भेजे जायेंगे।
- 2:5 आर0टी0ओ0 काम्प्लेक्स के संनिर्माण के सम्बन्ध में हुई प्रगति के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने जानकारी चाही कि इस काम्प्लेक्स में अमीनाबाद के हार्क्स को ले जाने की क्या कार्यवाही की गई? उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि दिनांक 30-7-1982 को छितवापुर शांपिंग काम्प्लेक्स की दुकानों को आवन्टन किया जाना है उसके बाद ही आर0टी0ओ0 काम्प्लेक्स के बारे में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। सदस्यों ने एक मत व्यक्त किया कि आर0टी0ओ0 काम्प्लेक्स में अमीनाबाद हार्क्स को आवन्टन में वारियता दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय ने कि पहले अमीनाबाद के हार्क्स व मोहन मार्केट वालों को अक्सर दिया जायेगा। अमीनाबाद के जो हार्क्स वहां नहीं जायेंगे उन्हें फिर कोई आल्टरनेटिव साईट देने का औचित्य नहीं होगा।
- अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री रामआर्पनेज वाले भवन को भी काम्प्लेक्स में शामिल कर लिया जाये। इस प्रकार बहुत अच्छा काम्प्लेक्स तैयार हो जायगा। उपाध्यक्ष ने बताया कि श्री राम आर्पनेज वाले स्थल को भी इस योजना के द्वितीय चरण में शामिल किया गया है। श्री राम आर्पनेज को प्रथम से हटाने के मामले में जिलाधिकारी-लखनऊ से विचार विमर्श किया जायेगा। कार्यवाही की जायेगी।

विषय सं0-3

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों की भौतिक प्रगति आख्या:-

पारित प्रस्ताव:-

XXXXXXXXXXXX

प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया गया तथा विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्देश दिया गया कि कम्पली में वांछित प्रगति लाई जाय। जिसके लिए यह आवश्यक है कि प्रति माह प्रगति समीक्षा की जाय।

विषय सं0-4

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में परिवर्तन आने से लेने और भवन निर्माण की अवधि के सम्बन्ध में प्राधिकरण को निर्णय हेतु टिप्पणी।

पारित प्रस्ताव:-

XXXXXXXXXXXX

उपाध्यक्ष ने बताया कि कई लोगों को भू-खण्ड 1972 में आवंटित हुए हैं लेकिन रजिस्ट्री वर्ष 1978 में कारायी गई है। कुछ योजनाओं में भवन निर्माण की अवधि भी निर्धारित है और किसी किसी योजना में भवन निर्माण की अवधि निर्धारित नहीं है। लीज डीड की शर्तों का सम्मान करने पर एग्जिमेन्ट में रिइन्ट्री के प्राविधान कुछ योजनाओं में होना भी विचार किया गया कि गाजियाबाद प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों में निर्णय लिया जा चुका है। वहां पर लेवी लेकर तीन-चार महीने का समय नकशा पास कराने हेतु तथा एक वर्ष का समय निर्माण हेतु निर्धारित है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस निर्णय पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

यह निर्णय हुआ कि प्राधिकरण का लक्ष्य भवन निर्माण की गति में वृद्धि लाना है। इसी विचार किया गया कि आवास एवं विकास परिषद् के द्वारा निर्मित भवनों में प्राधिकृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे:-

- 1- जिन मामलों में डीडी के अनुसार भवन निर्माण की अवधि निर्धारित थी और वह समाप्त हो चुकी है। ऐसे मामलों में वर्तमान मार्केट रेट या प्रीमियम पर 2% ऐनुक्ली लेवी लेकर ऐसे सभी आवेदियों से सितम्बर 1982 तक नकशा जमा कराने को कहा जाय। तथा दिसम्बर 1982 तक उनके नकशों पास कर दिये जायें। तक उन्हें नवम्बर 1982 तक मकानों का निर्माण करा लेना होगा।
- 2- यदि कोई आवेदी अपना भवन बेचना चाहता है तो उसे लाभांश का 50% प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। इसके बाद ही बेचने की अनुमति मिलेगी। यही शर्त उन मामलों में भी लागू होगी जहाँ किसी लीज में निर्धारित लीज की अवधि में निर्माण नहीं किया गया है और हस्तान्तरण कर दिया गया हो तथा नामान्तरण का मामला प्राप्त हो।
- 3- यदि आवेदी भवन निर्माण के पश्चात् भूमि एवं भवन का विक्रय करेगा तो उसे भूखण्ड का उस समय का जो बाजार मूल्य होगा उसमें से आवेदन के समय दिये गये मूल्य को घटाकर जो लाभांश होगा उसका पचास प्रतिशत प्राधिकरण कोष में जमा करने के पश्चात् ही क्रेता के नाम नामान्तरण किया जा सकेगा।
- 4- उपर दी गई शर्तों के अन्तर्गत भाविष्य त्रिखि में समस्त आवेदनों पर लागू होगी तथा उन मामलों में भी जिसमें इस समय तक पट्टे का निष्पादन नहीं हुआ है और नये आवेदियों के पट्टे में निर्माण की अवधि आवेदन की अवधि के अन्तर्गत होगी। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम एक वर्ष का समय बढ़ाया जा सकता है।
- 5- यह निर्णय पूर्णतः समस्त निर्णय सूत्र को छांटित कराये लिए जाने हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के भूखण्ड आवेदन के लीज डीडी में भवन निर्माण की अवधि निर्धारित अवधि नहीं है उनके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण को यह मामला सन्दर्भित कर चुके हैं। कि क्या ऐसे मामलों में अब भवन निर्माण की अवधि निर्धारित की जा सकती है। अतः शासन विचार विमर्श की राय लेकर ऐसे मामलों के सन्दर्भ में निर्देश/मार्ग निर्देशन दें।

प्रस्ताव संख्या-5

XXXXXXXXXXXX

प्राधिकरण की पुरानी कालोनियों में निर्मित भवनों के अनाधिकृत अध्यासियों के अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:-

XXXXXXXXXXXX

उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण के भवनों का जो किराया इस समय लिया जा रहा है वह बहुत ही कम है जिसका परिणाम यह है कि आवेदन विभिन्न परिस्थितियों में मकानों का कब्जा विकास प्राधिकरण को न दे कर अपने ही सौकरियों या मित्रों अथवा कुछ मामलों में दूसरे लोगों-

क्रमशः:-

को दे देते हैं। इस प्रकार प्राधिकरण के मकानों में काफी संख्या में अनाधिकृत अध्यासी है। जिनमें से कुछ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-441 तथा 447 के अन्तर्गत नोटिसें दी गई है। तथा फ़ैजदारी वाद भी दायर किये गये हैं। किन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि ऐसे प्रेम मामलों के निस्तारण में अत्याधिक बिलम्ब होता है। तथा न्यायिक प्रक्रिया में प्राधिकरण की बड़ी धान-राशे व्यय होती है। और मकानों का किराया भी प्राधिकरण को नहीं मिलता है। शासन ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखाते हुए वर्ष 1971 विनियमितीकरण के निर्देश दे दिये थे। इस अवधि में पुनः अनाधिकृत आध्यासियों की संख्या बहुत बढ़ गई है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब शासन इन भावनों को बेचने के बिन्दु पर विचार कर रहा है तब इन भावनों के किराये में वृद्धि तथा आवन्तन के नियमितीकरण के मामलों पर विचार किया जाना कहां तक उचित है।

सचिव आवास एवं नगर विकास ने कहा कि जब तक ये भावन बिकते नहीं हैं तब तक कोई-कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि इस समय अनाधिकृत रूप से भावनों का कब्जा करने की प्रवृत्ति को रोकना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो अनाधिकृत अध्यासी वर्गों से प्राधिकरण के भावनों में रह रहे हैं उनसे भी किराये की वसूली भी आवश्यक है। अध्यक्ष ने कहा कि इन भावनों का वर्तमान रेन्ट क्षेत्रफल के आधार पर फ़िक्स किया जाना चाहिए। विस्तार पूर्वक विचार किये जाने पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1- इन भावनों का फ़ैर रेन्ट निर्धारित करने के लिए 1- उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण 2- श्री बी०एन०खान्ना 3- श्री एस०पी०गुप्ता की एक समिति बनाई जाती है जो फ़ैर रेन्ट तय करने के लिए आधार बिन्दु प्राधिकरण के समक्ष रखेगी। फ़ैर रेन्ट तय होने के बाद ही इस विषय पर आग्रह निर्णय लिया जा सकेगा।

विषय सं०-6 विकास प्राधिकरण के पुराने भावनों में दिये गये परिवर्तन तथा परिवर्धन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

पारित प्रस्ताव:-  
XXXXXXXXXXXXXX

उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण के कालोनियों में अनाधिकृत श्रृंखला आवन्ती तथा अनाधिकृत आध्यासियों में भावनों में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन तथा परिवर्धन कर लिए हैं। ऐसे परिवर्तन तथा परिवर्धन कुछ ऐसे हैं जिनसे प्राधिकरण की सम्पत्ति को काहू क्षति नहीं है। तथा बिल्डींग बोर्डिंग का उलंघन भी नहीं होता। और किसी पड़ोसी को ऐसे निर्माण से कोई असुविधा भी नहीं होती। ता उसे विनियमित/शामनित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

सचिव आवास एवं नगर विकास ने जानकारी चाही कि इस विषय में पहले क्या नियम रहे हैं? उपाध्यक्ष ने बताया कि इस सम्बन्ध में अनुबन्ध में आवन्तन निरस्त करने का प्राविधान है लेकिन आवन्तन निरस्त करके उन्हें बेदखल करना इतना आसान नहीं है क्यों कि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार बेदखल कराने में बहुत ही बिलम्ब होता है। इस लिए जिन मामलों में इजमेन्टरी राइट्स का हनन नहीं होता उसको विनियमित करना ही उचित होगा।

विवारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

- 1- अध्यासी द्वारा किया गया परिवर्धन विकास प्राधिकरण को देना होगा और उसका स्वामित्व विकास प्राधिकरण का होगा।
- 2- उक्त परिवर्धित क्षेत्र का यदि निर्माण बिना अनुमति के किया गया तो इसका स्टैन्डर्ड रेंट भी अध्यासियों को देना होगा। जो उसके पुराने किराये में जोड़ दिया जायेगा। यदि अनुमति लेकर किसी आवन्टी द्वारा परिवर्धन तथा परिवर्धन किया जाता है तो वर्तमान किरायेदारी समाप्त होने पर आगे आवन्टन के समय इस परिवर्धित क्षेत्र का बड़ा हुआ किराया आवन्टी द्वारा देय होगा।
- 3- जिन आवन्टियों ने ऐसे परिवर्धन या परिवर्धन किये है जो भवन निर्माण के प्रातिकूल है अथवा जिससे पडोसियों के अधिकारों का हनन होता है या असुविधा होती है अथवा ~~अथवा~~ प्राधिकरण की सम्पत्ति को क्षति हो रही है अथवा भविष्य में क्षति हो सकती है। ऐसे आवन्टियों को आवन्ट निरस्त करके वेदखाल कर दिया जायेगा। और ऐसे अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करा दिया जायेगा।
- 4- उक्त अवैध निर्माण से प्राधिकरण की सम्पत्ति को क्षति पहुँच सकती है या नहीं या किसी इन्जिनेरी राईट्स का हनन होता है या नहीं का निर्णय अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा।
- 5- परिवर्धित क्षेत्र का किराया इसी बैठक के प्रस्ताव संख्या-5 द्वारा उप समिति द्वारा निर्धारित क्वन्टम के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।
- 6- यहैदेयह भवन आवन्टियों को भोजे जायेगो और वही अध्यासी क्रय करता है जिसने अपने धान से उक्त भवन में परिवर्धन किया है तो उक्त परिवर्धित क्षेत्र का मुल्य नहीं लिया जायेगा।

विषय संख्या-7

XXXXXXXXXXXX

महानगर योजना के अन्तगत ब्वायज स्कूल के हास्टल भूमि को स्कूल भूमि में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ~~प्रस्ताव~~

पारित प्रस्ताव:-

XXXXXXXXXXXX

उपाध्यक्ष ने बताया कि महानगर योजना के अन्तगत महानगर हाई स्कूल के प्रस्ताव संख्या-111 दिनांक ~~15-1-1965~~ 15-1-1965 द्वारा ~~महानगर~~ महानगर ब्वायज के नाम हास्टल हेतु आवन्टित की गई थी लेकिन उप प्रिन्सिपल महानगर ब्वायज स्कूल ने उक्त भूमि को स्कूल विल्डिंग में समाविष्ट करके भवन चित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया है। और प्रार्थना की है कि उक्त भूमि पर हास्टल की जगह स्कूल बनाने की अनुमति दे दी जाय।

डा० बी०एन० खान्ना ने कहा कि इस समय की बटती हुई स्कूलों की संख्या को देखाते हुए यह अनुमति दिया जाना उचित ही होगा। अध्यासी महोदय ने वरिष्ठ नगर नियोजक से पूछा कि इसमें कोई विधिक कोठना तो नहीं होगी? वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि भू-उपयोग में परिवर्तन चूंकि नहीं किया जाना है अतएव इस प्रकार की अनुमति देने में कोठनाई नहीं होनी चाहिए। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि महानगर ब्वायज स्कूल के हास्टल को स्कूल भूमि में परिवर्तन करने की अनुमति दे दी जाय।

प्रस्ताव:-

विषय संख्या-8

XXXXXXXXXXXXXX

आल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस, लखनऊ ब्रान्च को पेपर मिल कालोनी में भूमि आवान्टित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:-

7

उपाध्यक्ष ने बताया कि आल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस ने ब्रान्च लखनऊ इस आराय का प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्हें लखनऊ नगर के मध्य क्षेत्र 50फीटx100 फीट का भूखण्ड निर्वल का की कार्यरत महिलाओं के शालकों के कल्याणकारी कार्यों के निमित्त आवान्टित कर दिया जाय। शिवाचिव आवास एवं नगर विकास ने कहा कि भूमि दी जा सकती है लेकिन भूमि का प्रयोग जिस कार्य के लिए भूमि दी जाय उसी कार्य के लिए किया जाय। उपाध्यक्ष ने बताया कि इसका प्रबन्ध एक कमेटी द्वारा किया जायेगा। इस कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा प्रशासक नगर महापालिका-लखनऊ एवं उक्त संस्था द्वारा वामित दो सदस्य होंगे।

निर्णय हुआ कि यदि कोई उपयुक्त भूमि हो तो उन्हें दे दी जाय। उपाध्यक्ष ने बताया कि पेपर मिल कालोनी में नगर महापालिका का एक स्कूल स्थित है। उसके एक कोने में सौ फीटx पचास फिट भूमि उपलब्ध है।

विचारों के निमित्त निर्णय लिया गया कि पेपर मिल कालोनी स्थित नगर महापालिका के स्कूल के दक्षिण पूर्व के कोने पर स्थित 100x50 फीट भूमि को मासिक रेंट रू01 पर आल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस को दी गई शर्तों पर आवान्टित कर दी जाय।

प्रस्ताव संख्या-9

XXXXXXXXXXXXXX

श्री गोकर्ण प्रसाद श्रीवास्तव निवासी वल्दी छोडा की भूमि जो कानपुर मार्ग तथा नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत अर्जित की गई है के बदले भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:-

XXXXXXXXXXXXXX

उपाध्यक्ष ने बताया कि मामला कानपुर रोड योजना का है इनका भवन कानपुर मार्ग योजना के 80 फीट चौडी सड़क के बीच पड़ गया है। श्री श्रीवास्तव ने प्रार्थना की है कि सड़क को दूसरी ओर मोड़कर निवास कराया जाय। और उनका मकान अर्जन से मुक्त कर दिया जाय। लेकिन इनके मकान के दोनों ओर सड़क बन चुकी है। और इन तीनों मागो को जोडने के लिए इनके मकान का कब्जा लेना अति आवश्यक है। श्री गोकर्ण प्रसाद श्रीवास्तव की भूमि का अर्जन से मुक्त करना किसी भी दशा में सम्भव नहीं है। शिवाचिव आवास एवं नगर विकास ने यह जानकारी चाही है कि इन्होंने मकान का निर्माण कब किया था। उपाध्यक्ष ने कहा कि सही समय तो यह है कि इन्होंने यह भूमि योजना नोटिफिकेशन के पहले खरीदा था। कि बताया गया है दो कमरे बनाकर रह रहे हैं। अध्यक्ष ने पूछा कि इन्हें इस योजना में क्या कोई भवन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उपाध्यक्ष ने बताया कि श्री गोकर्ण प्रसाद सेवा मुक्त हैं भवन को खरीद सकते हैं। श्री श्रीवास्तव प्राधिकरण का भवन लेने के इच्छुक नहीं हैं। शिवाचिव ने लेकर भूमि ही लेना चाहते हैं। सदस्यों ने यह-

ने यह मत व्यक्त किया है कि गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव की इच्छानुसार इन्हें भावन बनाने हेतु कुछ भूमि दे दी जाय इस भूमि का विकास व्यय उनसे ले लिया जाय।

विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि श्री गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव को कानुपर रोड़ योजना के अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के बदले 200 वर्गमीटर भूमि इन्हें निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाय। तथा उनसे रु० 30/प्रति मीटर की दर से विकास शुल्क लिया जाय। इनके वर्तमान भावन तथा भूमि का कोई मुवाकजा नहीं दिया जायेगा। इससे किसी प्रकार का पूर्व दृष्टान्त उत्तपन्न नहीं होगा।

विषय संख्या-10

आर्कीटेक्ट कम प्लानर के पद पर श्री राज कुमार शुक्ल के परिवेक्षा काल को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में तथा वरिष्ठ नगर नियोजक का पद नाम मुख्य नगर नियोजक किये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:-

XXXXXXXXXXXX

अध्यक्ष महोदय ने यह जानकारी चाही है कि श्री शुक्ला की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी। उपध्यक्ष ने बताया कि श्री शुक्ला की नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार प्राधिकरण के पूर्व सृजित पद आर्कीटेक्ट कम प्लानर के पद पर वर्तमान रु० 1350-1700/- में तीन महीने की परिवेक्षा पर की गई थी। जो जुलाई 1982 में समाप्त हो गई है। अध्यक्ष महोदय ने संयुक्त सचिव वित्त श्री एस०पी० गुप्ता से पूछा कि परिवेक्षा अवधि कितनी अवधि का होता है। संयुक्त सचिव श्री गुप्ताने बताया कि वे प्रायः एक साल की परिवेक्षा अवधि रखी रहती है जो वाद में भले ही समय वृद्धि कर दी जाये। सचिव आवास एवं नगर विकास ने कहा कि अच्छा होगा कि इन्हें एक वर्ष की परिवेक्षा अवधि में रखा जाय। उपध्यक्ष ने कहा कि श्री शुक्ला को लखनऊ महायोजना का पुनरीक्षण कार्य सौंपा गया था यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसे पूरा किया जाना अति आवश्यक है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री राजकुमार शुक्ल के परिवेक्षा काल को 9 माह और बढ़ा दिया जाये।

वरिष्ठ नगर नियोजक का पद नाम मुख्य नगर नियोजक करने के सम्बन्ध में विचारार्थ आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या-11

XXXXXXXXXXXX

प्राधिकरण में कुर्सी बुनकरों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:-

XXXXXXXXXXXX

प्राधिकरण में कुर्सी बुनकरों के पद के सृजन के सम्बन्ध में उपध्यक्ष ने बताया कि शासन के आदेशानुसार एक नेत्रहीन की नियुक्ति की जानी है जिसके लिए एक पद का सृजन प्राधिकरण द्वारा किया जाना आवश्यक है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण में कुर्सी-बुनकर एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वर्तमान रु० 165-215 में सृजित किया जाय जिस पर नेत्रहीन व्यक्ति की नियुक्ति की जाय।

विषय संख्या-12 पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्थापना के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:-  
XXXXXXXXXXXX

अलीगंज योजना के सेक्टर "ई" में 13 एकड़ भूमि मास्टर प्लान के प्राविधानों के अनुसार ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित की गई है। इस भूखण्ड पर आडिटोरियम योगिक केन्द्र, प्ले ग्राउण्ड स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल का निर्माण प्रस्तावित है।

स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल के निर्माण हेतु पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ विभाग को निम्नलिखित शर्तों पर भूमि देने निर्णय लिया गया है।

1- ग्रीन बेल्ट वाली भूमि में से पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग को स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल के निर्माण हेतु भूमि रु० 1-00 प्रतिवर्ग नामिनल लीज रेन्ट पर दे दी जाय।

2- उपरोक्त स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल का निर्माण पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग को भूमि का कब्जा दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रारम्भ करना होना तथा निर्माण कार्य तीन वर्ष के अन्दर पूर्ण करना होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में समय में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वृद्धि दी जा सकती है।

3- उपरोक्त स्टेडियम में सीटियों के नीचे गिलाडियों के आवास की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त स्टेडियम के प्रांगण में ही वाटर वार्ड स्टाप के आवास की व्यवस्था की जा सकती है। किन्तु इन दोनों के निर्माण के लिए प्लान पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग को लखनऊ विकास प्राधिकरण से पास कराना अनिवार्य होगा।

4- उपरोक्त स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल के सेचालन हेतु उक्त विभाग एक प्रवन्ध समिति का गठन करेगा जिसके सदस्य प्रशासक नगर महापालिका लखनऊ/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण-लखनऊ भी होंगे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी तथा डाइरेक्टर स्पोर्ट्स भी समिति के सदस्य होंगे।

5- उपरोक्त विभाग स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल का प्रयोग आरम्भ करने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की फ्री आफ कास्ट उपलब्धता पर ध्यान देगा।

6- अन्य खेल-कूद एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को उपरोक्त स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल की सुविधा उपलब्धता के आधार पर दी जायेगी।

7- स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल के उपयोग के लिए फीस आदि का निर्धारण उपरोक्त प्रवन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

8- उपरोक्त विभाग स्टेडियम का प्रयोग खेल एवं कूद तथा इसके सम्बन्धित कार्यों के लिए ही करेगा अन्यथा नहीं।

9- स्वीमिंग पूल के उपयोग की सुविधा/सदस्यता अलगज के निवासियों के लिए विशेष रूप से तथा नगर के अन्य निवासियों के लिए सामान्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। जिसके लिए प्रवन्ध समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा नगर महापालिका लखनऊ के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जायेगी जो पोस्टल एवं टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को दी जायेगी।

११- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को निदेशक खोल-कूद उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति पर उक्त स्टेडियम का प्रयोग उपरोक्त विभाग केवल निर्दिष्ट उपयोग के लिए उपलब्ध कराये गा।

१२- उपरोक्त विभाग स्टेडियम के प्रयोग के उद्देश्य से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

१३- उपरोक्त विभाग स्टेडियम के अन्दर दुकानों क्यास्कों या व्यक्तियों के स्टाल आदि का निर्माण नहीं करायेगा।

१४- उपरोक्त समस्त शर्तों की स्वीकारोक्ति पोस्ट व टेलीग्राफ विभाग से प्राप्त होने पर ही उक्त भूमि का कब्जा दिया जायेगा।

१५- स्टेडियम का नामकरण निर्माण के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण के परामर्श एवं अनुमोदन से ही किया जायेगा।

अनुरक्त विषय:-

XXXXXXXXXXXX

११०१

विषय संख्या-०१

डालीबाग हाउसिंग स्कीम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:-

उपाध्यक्ष ने बताया कि बटलर रोड तथा बन्धो के बीच में १२-४६ एकड़ भूमि नजूल का कब्जा नजूल विभाग से अभियन्त्रण विभाग को हस्तान्तरित हो चुकी है तथा इसी भूमि के निकट १-१० भूमि के अर्जन का प्रस्ताव प्राधिकरण की अनुमति लेकर जिलाधिकारी को भेज दिया गया है। आवास सचिव ने बताया कि नजूल भूमि का मूल्य प्राधिकरण को देना होगा। अध्यक्ष महोदय ने जानकारी चाही कि इस योजना में कितने और कि किस श्रेणी के मकान बनाये जाने प्रस्तावित है। उपाध्यक्ष ने बताया कि यह आवासीय योजना सेल्फ फ़ाईनेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इसमें "ए" टाइप के ४४ "बी" टाइप के १३२ तथा एक कमरे वाले ६४ भावन प्रस्तावित हैं। डा० वी० एन० खान्ना ने कहा कि शासन की नीति के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग वालों के लिए अधिक से अधिक मकान बनाये जाने चाहिए। उपाध्यक्ष ने बताया कि भारापी में काफी धान-का व्यय हुआ है। निर्माण लागत अधिक आ रही है इसके बावजूद भी ६४ भावनों के निर्माण का अधिकांश वित्तीय भार अन्य श्रेणियों पर डाला गया है। यह ६४ भावन बनाने का प्रस्तावित किये गये हैं। सचिव, आवास नगर विकास ने कहा कि फिर भी अल्प आय वर्ग वालों को वरियता दी जानी चाहिए। डा० खान्ना ने सुझाव दिया कि वहाँ पर १०० भावन अल्प आय वर्ग के बनाये जायें। वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि इस क्षेत्र का ए० ए० आर० व ग्राउन्ड कवरेज महायोजना के अनुक्रम ही रखा गया है। परन्तु डेन्सिटी १०० व्यक्ति प्रति एकड़ के स्थान पर २०० व्यक्ति प्रति एकड़ आ रही है जो ग्रुप हाउसिंग योजना के स्वाभाविक है। अतः डेन्सिटी में छूट अपेक्षित है।

क्रमशः-११

॥ ११ ॥

विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त योजना हेतु 100 प्रति एकड़ के स्थान पर 200 व्यक्ति प्रति एकड़ डेन्सिटी करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। तथा डेन्सिटी को बन्ध करने का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त योजना में 64 ई0डब्लू0एस0के स्थान पर 100 ई0डब्लू0एस0बनाये जायें।

विषय संख्या-2  
XXXXXXXXXXXX

लखनऊ कानपुर योजना के चतुर्था चरण में भू उपयोग के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:-

उपाध्यक्ष ने बताया कि कानपुर मार्ग एवं नगर प्रसार योजना का चतुर्था चरण शारदा नहर के दक्षिण क्षेत्र का वह भाग है जो लखनऊ विजनौर मार्ग पर एवं लखनऊ रायवरेली मार्ग के बीच स्थित है। और इसका क्षेत्रफल 1600 एकड़ है। लखनऊ नगर की महायोजना में इस भूमि का कोई उपयोग नहीं दिखाया गया है। जिसके कारण आवासीय उपयोग हेतु भूमि के अर्जन में कठिनाई हो रही है। ऐसी परिस्थिति में उक्त भूमि का भू-उपयोग आवासीय करना नितान्त आवश्यक है। विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का भू-उपयोग आवासीय करने की संस्तुति शासन को भोज दी जाय।

विशेष प्रस्ताव:-  
XXXXXXXXXXXX

अध्यक्ष व सदस्यों ने पार्को में हा रहे अनाधिकृत अतिक्रमण के प्रति गन्दागी के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्राधिकरण के मुखार्जी पार्क व सरोजनी नायडू पार्क में जो रेस्ट्रा बनाये गये हैं उनसे वहां का वातावरण नित्य प्रति खराब होता जा रहा है। सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि प्राधिकरण के किसी भी पार्क में कोई भी कैन्टी या रेस्टां नहीं होने चाहिये। विवार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के पार्को में जो अनाधिकृत अतिक्रमण हैं उन्हें यथाशीघ्र हटाया जाय तथा लक्ष्मण पार्क व सरोजनी नायडू पार्क में रेस्ट्रा को जो भूमि आवासीय है उसकी लीज डीड का पुनरीक्षण कर उसे निरस्त करने की कार्यवाही तथा प्राधिकरण की आली बैठक में इसकी प्रगति बतायी जाय।

Auth.

॥ मधुकर गुप्त ॥ 30.8.82  
उपाध्यक्ष

विकास प्राधिकरण लखनऊ।

॥ कृपाल सिंह ॥  
सचिव

॥ अनुमोदित ॥

॥ सुरेन्द्र मोहन ॥

आयुक्त  
लखनऊ मण्डल-लखनऊ

अध्यक्ष

विकास प्राधिकरण-लखनऊ ।